कुरुक्षेत्र

सितम्बर 1983

मूल्य : 1 रु०

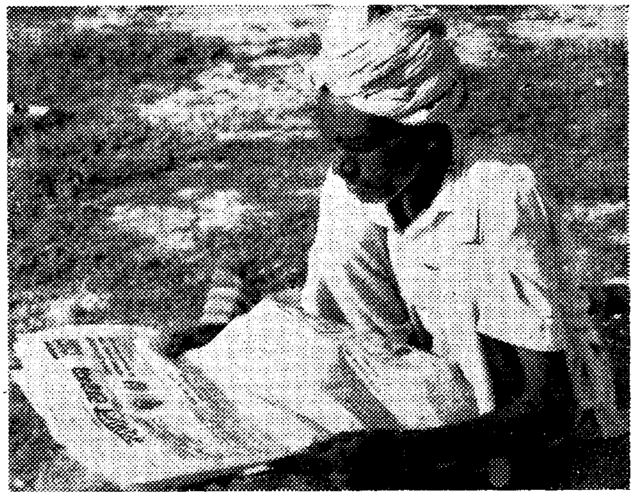

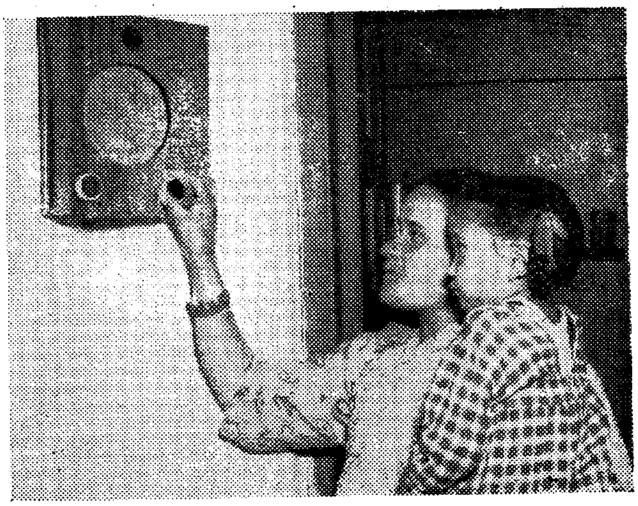

संपादकीय

ग्रामीण संचार समग्र विकास का आधार

ग्रामीण जनता का आर्थिक विकास उन्हें उपलब्ध संचार के समुचित साधनों एवं माध्यमों पर भी निर्भर करता है जिनसे उन्हें वंचित रखना उनकी विकास की गति को धीमा करना है। गांवों में जानकारी देने वाले संचार माध्यमों और सुविधाओं से लाभ कमाना भले ही संभव न हो लेकिन इसके द्वारा उनको आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियां हो सकती हैं।

गांवों में संचार माध्यमों और सुविधाओं के कई लाभ हैं। इससे ग्रामीणों में परस्पर सम्पर्क बढ़ता है, चिकित्सा सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कृषि और पशुधन को सहायता मिलती है। सफाई में सुधार होता है। कृषि के नए-नए तरीकों की जानकारी प्राप्त कर किसान पैदावार बढ़ा सकता है, अन्य लघु और कुटीर उद्योगों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती है। विचारों और आवश्यकताओं के आदान-प्रदान से नवीनतम और अच्छी तकनीक की जानकारी शीघ्र सुलभ हो सकती है। समुद्रों में आने वाले तूफान की पूर्व सूचना पाकर तट पर रहने वाले मछुआरे समय पर सम्भल जाते हैं।

ग्रामीणों की कई समस्याएं उनके अज्ञान के कारण हैं जिसे साधारण और आसानी से उपलब्ध संचार के मंजाल द्वारा उनकी जानकारी बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। वे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकने में भी समर्थ हो सकते हैं। नई प्रौद्योगिकी से साक्षरता, आर्थिक सम्पन्नता और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। यह नई प्रौद्योगिकी उन तक पहुंचानी है। जानकारी का व्यापक प्रसार करने से गांवों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में और ग्राम विकास में तेजी लाने के लिए उचित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गांव वाले स्वयं भाग ले सकेंगे और ग्राम समाज परिवर्तनशील रहेगा।

आयोजना की प्रक्रियाओं से जहां एक ओर प्रगति हुई है वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता में भी वृद्धि हुई है। इन हालातों के लिए जहां कई अन्य कारण उत्तरदायी हैं वहीं विकास संगठनों और ग्रामीणों के बीच सीधा और उचित सम्पर्क न होना भी मुख्य कारण रहा है। ऐसी सम्पर्क बाधा को दूर करने के लिए ग्रामीणों में समुचित जानकारी का होना जरूरी है। यह तभी संभव हो सकता है जब गांवों में संचार माध्यमों का समुचित प्रबंध हो, संचार-सुविधाओं, यातायात के साधनों की सही व्यवस्था हो।

दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में अब अखबार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और चलचित्र पहुंच रहे हैं, जिनसे न केवल आंकड़ा, संग्रहण प्रक्रिया, अनुप्राप्ति और आदान-प्रदान की संभावना बढ़ी है अपितु गांवों की वास्तविक समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। इसमें क्या खामियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, विकास मार्ग में क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं, इत्यादि सोचने और समझने की और जानकारी और ज्ञान की प्रक्रिया का विकास हुआ है।

गांवों में संचार सुविधाओं और सेवाओं का होना केवल आर्थिक ही नहीं अपितु समग्र विकास—देश की भावात्मक एकता और अलगाव की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए आवश्यक है। पिछड़े और दूर-दराज इलाकों के पूर्ण विकास के लिए नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना है जिसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए संचार के माध्यम एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। संचार सुविधाओं और माध्यमों, दोनों का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। विश्व संचार वर्ष के दौरान कई प्रमुख योजनाओं को चालू किया जाएगा। इनमें तूफान की चेतावनी की प्रभावी प्रणाली तथा समुद्रों में खतरे से बचाव के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं। आकाशवाणी के 61 से अधिक स्टेशनों के कृषि और घरेलू प्रसारण कार्यक्रम ग्रामीणों को कृषि और अन्य क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी के विषय में जानकारी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रेरणात्मक प्रचार के लिए भारतीय उपग्रह भी एक अच्छा माध्यम साबित हुआ है। दूरदर्शन के कार्यक्रम 53,884 गांवों तक पहुंचने लगे हैं।

गांवों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। ग्रामीण स्तर पर सभी उपलब्ध रूपों में जानकारी और ज्ञान की प्रक्रिया का तेजी से विकास किया जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 28 भाद्रपद–आश्विन 1905 अंक 11

इस अंक में पृष्ठ संख्या

ग्राम विकास में ग्रामीण जनता की अधिक भागेदारी चाहिए 2
एम० दासगुप्ता

आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं 8
सूर्यनारायण सक्सेना

स्वभाव : वृक्ष की जिजीविषा (कविता) 9
रामजी मिश्र

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या 10
प्रमोद सिंह

पेड़ लगाओ रे ! (कविता) 14
श्याम बेबस

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—मासिक सार 15

संचार और ग्रामीण विकास 16
के० डी० कोकाटे और वी० के० दूबे

स्वच्छ पेयजल दशक (1981-90) और ग्रामीण जल आपूर्ति 22
शुकदेव प्रसाद

होनी कुछ और ही थी 24

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 26
चन्द्रशेखर मिश्र

चुगलखोरी (कहानी) 28
शम्भू प्रसाद 'राही'

केन्द्र के समाचार 31

सिंहपुरा-हरियाणा का ऊर्जा गांव आवरण पृष्ठ 3

आवरण पृष्ठ-गांवों में संचार माध्यम

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र** (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति : 1 रु०, वार्षिक चन्दा : 10 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : एस० एल० जायसवाल
सहायक व्यापार व्यवस्थापक :
एल० आर० बत्रा
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
के० आर० कृष्णन

दूरभाष : 382406

सम्पादक : श्रीमती सुमन शर्मा
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : परमार

ग्राम विकास में ग्रामीण जनता की अधिक भागेदारी चाहिए

*

एम० दासगुप्ता

लगातार नए-नए कार्यक्रमों के बावजूद भी आज गरीब ग्रामवासियों की स्थिति वही बनी हुई है। इन लोगों में आते हैं भूमिहीन श्रमिक, सीमांत काश्तकार, साझे में खेती करने वाले लोग, मामूली जीविका वाले संघर्षरत किसान, छोटे दस्तकार और अन्य ऐसे ग्रामवासी जिनकी आय न्यूनतम निर्धारित आय से कहीं कम है। ग्राम विकास समिति ने कारनेल विश्वविद्यालय में उपलब्ध 17 एशियाई और लैटिन अमरीकी देशों के आंकड़ों के सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि इन देशों की लगभग 65 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या "आधारभूत न्यूनतम आय" अर्जित नहीं कर रही थी और जो तथ्य हाथ लगा वह यह है कि इस प्रवृत्ति में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है।

भारत के संबंध में भी यह तथ्य सत्य है। यहां भी आधुनिकीकरण और उन्नति के बावजूद गरीबी बढ़ रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारत में गरीबी के आकार को मापने का प्रयास किया है (इनमें से कई महत्वपूर्ण हैं)। इनके आंकलन में थोड़ा-बहुत अन्तर होते हुए भी जो एक बात स्पष्ट और सर्वमान्य रूप में सामने आई है वह यह है कि आज 30 वर्ष की आयोजना प्रणाली के बाद भी भारत की जनसंख्या का काफी भाग गंभीर गरीबी का शिकार है। गरीबी के चार बड़े आंकलन दांडेकर और रथ, बर्धन, ओझा और मिन्हास द्वारा किए गए हैं। रणजीत साहू का यह कथन कि "पंचवर्षीय विकास योजनाओं की परेड जनसंख्या के काफी बड़े भाग को अनदेखा कर छोटे मार्ग से निकल गई है" एक वास्तविक सच्चाई बन जाती है जब हम देखते हैं कि जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग अब भी गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहा है। समस्या का वास्तविक आकार देखने के लिए हम एक और कथन को सामने रखते हैं: "शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 5 प्रतिशत जनसंख्या प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत 9/- रु० खर्च करती है, यानि 30 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति दिन। सम्पूर्ण रूप में जनसंख्या का काफी बड़ा भाग गंभीर गरीबी से ग्रस्त है। इस तरह, लोगों का 90 प्रतिशत भाग 2 रु० से भी कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च कर रहा है"। इससे भी अधिक क्षोभ की बात यह है कि मंहगाई की मार का सबसे ज्यादा शिकार भी जनसंख्या का यही भाग होता है। ऐसा लगता है कि आयोजना की प्रक्रियाओं से जहां एक ओर प्रगति हुई है वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता में भी वृद्धि हुई है।

इन हालातों के लिए जहां अन्य कारण उत्तरदायी हैं वहीं विकास संगठनों और ग्रामीणों के बीच उचित सम्पर्क न होना भी मुख्य कारण है। यह आरोप लगाया गया है कि विकास आयोजना गांवों की ओर मात्र "पिकनिक पार्टी" की तरह पहुंचती है। जिस तरह लोग किसी स्थान पर मात्र सैर-सपाटे और मनोरंजन के लिए पिकनिक पर जाते हैं और उनका उस स्थान के प्रति अन्य कोई लगाव नहीं होता उसी प्रकार का व्यवहार अविकसित क्षेत्रों के साथ हमारी विकास योजनाओं का होता है जिसमें कि बाहर के कर्त्ता-धर्त्ता, बाहर की तकनीक और बाहर का ही श्रम होता है। स्थानीय जनता मात्र दर्शक बनी, इनकी ओर बिना अपने किसी सहयोग के ताकती रहती है। हमारी विकास योजनाएं जनसंख्या के बड़े भाग से अपना सम्पर्क साधने में सफल नहीं हुई है। हां कुछ "चतुर" लोग अवश्य इससे लाभान्वित हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा क्षेत्र में विशिष्ट वर्ग के रूप में है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकांश लाभ इन तक ही पहुंचता है। बाहरी लोगों की खर्चीली आदतें भी स्थानीय लोगों पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वे लोग स्वयं को हीन समझते हैं और किसी योजना में भाग लेने से कतराते हैं। इसका परिणाम अन्ततोगत्वा निराशा और सामाजिक तनाव में वृद्धि करता है।

लोगों में योजना निर्माण और क्रियान्वयन के प्रति लगाव उत्पन्न करने की इच्छा को हम अब तक सफलता पूर्वक पूरा नहीं कर पाए हैं। परिणामस्वरूप प्रशासन के उच्च पदासीन लोग "जन आकांक्षा के अनुरूप" अपनी बुद्धि से योज-

[illegible] योजनाओं के [illegible] हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां गांवों में पानी के पम्प लगाए जाते हैं उनका उपयोग और देखभाल स्थानीय लोग नहीं करते। योजनाओं के लागत-लाभ पहलू को गांवों की भलाई पर खर्च होने के कारण अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

गरीब ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने के लिए जो आर्थिक उपाय सुझाए गए हैं उनमें हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, उनके उत्पादन को गरीबों की आवश्यकता के लिए बढ़ाना, उनकी दक्षता और साधनों में वृद्धि करना, उनकी सामान और सेवाओं के लिए मांग बढ़ाना जिसके बदले में जो वे उत्पादन करते हैं उसके लिए श्रम और मांग की आपूर्ति बढ़े। ये उपाय गरीबी कम करने के लिए वाकई अच्छे हैं। परन्तु ये साधन अपर्याप्त साबित हुए हैं क्योंकि विशिष्ट परिस्तिथियों में में लोगों की आर्थिक दशा का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सका और हुआ यह कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीण धनवान लोगों को प्राप्त हुआ जिससे फिर आय, साधन और अन्य वस्तुओं के असमान वितरण की समस्या होने लगी।

हम जो कहना चाहते थे उसे उस रूप में न मान कर दूसरा ही अर्थ लगाने के बीच जो कारण घटा उसकी कई वजह हैं। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वास्तविक मूल ग्रामीण समस्याओं को अनदेखा कर हमने मात्र दिखावटी कार्यक्रमों पर जोर दिया। पिछले 25 वर्ष के दौरान लगभग सभी विकासशील देशों में उत्पादन वृद्धि की दर काफी अच्छी दर्ज की गई परन्तु फिर भी, लगभग इन सभी देशों में यह माना गया कि गरीबी स्तर को कम करने में वे असफल रहे हैं।

अन्य साधन:

ऐसा आरोप है कि योजना निर्माता अधिक जोर "वृद्धि और विकास" पर देते हैं, गरीबों की वास्तविक समस्याओं पर और बुनियादी शिक्षा आदि में सुधार पर बल दिया गया जो विशेषकर बेहतर जन सुविधाओं जैसे, जल आपूर्ति स्वच्छता और प्राथमिक पाठशालाओं के माध्यम से हो। यह तर्क दिया गया कि इन सुविधाओं से गरीबी मिटाने में तत्काल सहायता मिलेगी अपेक्षाकृत उन अप्रत्यक्ष उपायों के जो गरीबों की उत्पादकता और आमदनी बढ़ाने के लिए अपनाए गए हों। "आधारभूत आवश्यकताओं" के सिद्धान्त के प्रस्तावकों का तर्क है कि ऐसे साधन गरीबी को शीघ्र प्रभावित करता है जबकि और सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रावधान वे उपाय जो इस धारणा पर आधारित होते हैं कि "ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा" और बढ़ी हुई उत्पादकता का अन्तोगत्वा गरीब तक लाभ पहुंचेगा—कम प्रभावशाली होते हैं। उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के उपायों का समर्थन करने के साथ-साथ उनका यह भी कहना है कि केवल ये उपाय ही न तो सक्षम हैं और न ही पर्याप्त। ऐसी स्थिति में "सम्पर्क खाई" बन जाती है क्योंकि गरीब की तात्कालिक आकांक्षा को नहीं देखा जाता अथवा उस पर विकास कार्यक्रम जोर नहीं देते।

पर्याप्त रूप में ऐसा साहित्य उपलब्ध है जिनमें मानव—पूंजी की उन्नति के फलस्वरूप प्राप्त आर्थिक लाभ को दर्शाया गया है। विकसित देशों में "वृद्धि गणना" के पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस प्रयास में कुल उत्पादन में वृद्धि को (कुल राष्ट्रीय उत्पाद अथवा जी० एन० पी०) वृद्धि के कारक आदानों को साधनों (भूमि, श्रम और पूंजी) में और एक अस्पष्ट "अवशिष्ट" जो परिचित मूल तत्व की उत्पादकता को बदल देता है, में बांट दिया जाता है।

डेनीसन के नवीनतम आकलनों से ज्ञात होता है कि संयुक्त राज्य अमरीका की 60 प्रतिशत से भी कम जी० एन० पी० की वृद्धि प्रचलित फैक्टरी आदानों-प्राथमिक तौर से श्रम और पूंजी—से हुई है जबकि शेष परिमाण की आर्थिकी, है। डेनिसन ने शिक्षा को 19[illegible] और 1976 के बीच जी० एन० पी० में 14 प्रतिशत वृद्धि के लिए आदान कारक माना है। यदि शिक्षा को ज्ञान में वृद्धि के अवशिष्ट के साथ जोड़ दिया जाए, तब वृद्धि में मानव पूंजी का अंशदान 38 प्रतिशत होगा। क्रूगर के द्वारा विकाशील देशों पर अपनाई गई इसी तकनीकी से भी समान परिणाम प्राप्त हुआ।

मानव पूंजी में सुधार का प्रभाव मापने का एक अन्य तरीका शिक्षा से प्राप्त प्रतिफल दर को मापना है। यह इस प्रकार किया जा सकता है कि विभिन्न स्तर तक की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की पूरे जीवन की उपार्जित पूंजी का आकलन किया जाए और फिर उसकी तुलना शिक्षा के निजी और सामाजिक मूल्य, जिसमें विद्यालय के समय में पूर्वनिश्चित उपार्जन राशि भी शामिल हो, को जोड़कर की जाए। सामान्य तौर पर ऐसे अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षा पर लगाई गई पूंजी से, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों में भारी प्रतिफल मिलता है। सकारोपालस के द्वारा 1973 में किए गए 17 विकासशील देशों के सर्वेक्षण में प्राथमिक शिक्षा से औसतन 25 प्रतिशत लाभ देखा गया। लाभ की यह दर निम्नतम 6.6 प्रतिशत (सिंगापुर, 1966) और उच्चतम 82 प्रतिशत (वेनेज्युला, 1957) प्राप्त हुई।

भारत और कई अन्य विकासशील देशों में "न्यूनतम आवश्यकता" प्रयासों पर आम तौर पर बहुत कम ध्यान दिया गया। वास्तविक तथ्य तो यह है कि भारतीय योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थय पर बहुत कम धन लगाया गया। चाहते हुए भी शिक्षा का विस्तार अल्प संख्या में नगरों तक ही सीमित रहा और विशाल क्षेत्र में फैले अशिक्षित गांव इसका लाभ नहीं उठा पाए। भारत की शिक्षा प्रणाली शहरों के प्रति पक्षता लिए हुए है। समाज की प्रकृति और असमान आर्थिक विकास के कारण असमान रूप से फैली शिक्षा सुविधाओं के कारण शिक्षा में विकास की ऐसी पद्धति उत्पन्न हुई है जिससे शिक्षा की समस्या और भी गंभीर हो गई है। शिक्षा की असमानता के बारे में यह सत्य बात कही

जाती है कि भारत का सम्पूर्ण शिक्षा ढांचा पूर्ण शहरी पक्षता के रोग से अब भी ग्रस्त है । "शिक्षा की कमी" ने भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बीच "सम्पर्क की खाई को और चौड़ा कर दिया" (कम्यूनिकेशन गैप) बड़े पैमाने पर निवेश करने से इसके गुणनफल में प्रभाव नहीं मिलते । ऐसे प्रदेश में जहां लोग भारी संख्या में अशिक्षित हों, निवेश पूंजी के बहाव को ग्रामीण विशिष्ट वर्ग के हाथों में केन्द्रित करता है ।

"शिक्षा की कमी" ने "स्वास्थ्य में कमी" जैसी अन्य कई कमियों को पैदा किया है । इस बात का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है कि स्वास्थ्य और आधारभूत आवश्यकताओं में सुधार से उत्पादकता और वृद्धि में कितनी सहायता मिलती है । एक स्पष्ट संबंध यह है कि स्वस्थ श्रमिक ज्यादा उत्पादन देता है, ज्यादा समय तक ज्यादा मेहनत करता है आदि-आदि । उन्नत स्वास्थ्य दशाएं मानव और भौतिक साधनों में ह्रास को रोकती हैं जिससे ऐसे बच्चों को पालना और उनकी संख्या बढ़ाना, जो उत्पादकता की उम्र तक पहुंच ही न सकते हों, कम होता है । अल्पावस्था में मृत्यु का भय स्कूली शिक्षा से प्राप्त लाभों को कम करता है । उत्पादकता से इस प्रकार के लाभों को अब निवेश के लिए उपयुक्त लाभ माना जाने लगा है । दूसरे शब्दों में गरीबी के गंभीर रोग से मुक्ति पाने और उत्पादन में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए लोगों पर निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है ।

प्राय: लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं को अनदेखा कर दिया जाता है ! इसलिए लगता है कि सम्पर्क की कमी विद्यमान है । उत्पादन और आय बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया है । अब सरकार सामान और सेवाओं को कमजोर वर्ग के लाभ के लिए उन तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है तो इसमें कई कमियां होती हैं । पहली कमी यह है कि प्रशासन प्रणाली आमतौर पर जिला स्तर से नीचे नहीं पहुंच पाती । कोई भी कार्यक्रम मात्र प्रचार बन कर रह जाता है जैसे नई बीज किस्म, नई सड़क जन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का दौरा आदि । ग्रामीण विकास के संदर्भ में इसके दो कमजोर पक्ष हैं । (i) सार्वजनिक आदानों की व्यवस्था बिना उसके बारे में समुचित जानकारी दिए की जाती है अथवा बिना ग्रामीण आधार के की जाती है । व्यवहार में समानता और क्रियान्वयन में गति रखने के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाते समय स्थानीय दशाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । (ii) निजी सामान और सेवाओं का पहुंचाना सरकारी मंत्रालयों और तकनीकी विभागों द्वारा नियन्त्रित होता है । जो लोग अनुसंधान केन्द्रों और तकनीकी विभागों में कार्य कर रहे होते हैं वे वहीं के अभ्यस्त हो जाते हैं और नीति निर्माण के उद्देश्यों से प्राप्त परिणामों से अछूते रह जाते हैं जिससे गरीबी की वास्तविक समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं जाता ।

जब कार्यक्रमों का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंचता तो सरकार किसानों को ऋण देने के लिए बैंकों या ऐसे ही अन्य मध्यस्थों की सहायता लेती है । विचार यह होता है कि ग्रामीण लोग इन मध्यस्थों की सहायता विशिष्ट, तकनीकी और सरकार द्वारा अन्य उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सामान को इनके माध्यम से प्राप्त कर लें । इस प्रक्रिया में प्रमुख कठिनाई यह है कि ग्रामीण लोग समूह में और या व्यक्तिगत रूप में इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते । वास्तव में इसके विपरीत होता यह है कि ग्रामीण संभ्रांत वर्ग जिनके पास संपत्ति या राजनैतिक शक्ति अथवा दोनों होती हैं इन मध्यस्थ एजेंसियों से भारी लाभ का हिस्सा ले जाते हैं, जो कि ग्रामीण गरीबी के लिए रखा जाता है

सम्पर्क बाधा को दूर करना

इस संबंध में किए गए कई अध्ययनों में इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि ग्रामीण विकास में गरीब ग्रामवासियों की ज्यादा भागेदारी होनी चाहिए । इस बारे में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि किस प्रकार के कार्यक्रम में किस प्रकार के वर्ग की कैसी भागीदारी हो? विभिन्न स्तरों पर भागेदारी विभिन्न प्रकार हैं । निम्नलिखित प[illegible] विचार किया जा सकता है। किसी सेवा या प्रायोजना के क्रियान्वयन में भागेदारी विशिष्ट योजना या सेवा क्या हो इसका निर्णय लेने में भागेदारी, उपलब्धियों के या प्रायोजना प्रशासन अथवा सेवाओं की कोटी के मूल्यांकन पर भागेदारी, और अन्त में प्रयोजना या सेवा का दीर्घावधि में निर्देशन पर नियंत्रण कैसा हो, इस बात पर भागेदारी ।

केवल लाभ में भागेदारी सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के दृष्टिकोण से दान की भावना रखते हुए निर्बल और असहाय प्राप्त कर्त्ताओं को भेंट के रूप में संगत है । आमतौर पर कई प्रकार की मिशनरियां और स्वैच्छिक संगठन अपनी गतिविधियों को इस प्रकार के कल्याण तक ही सीमित रखते हैं । पर इस प्रकार के जो प्रयास हैं उनसे ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण व्यवस्था को बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि इन लोगों का अपने भाग्य निर्माण पर कोई अधिकार नहीं हैं ।

तस्वीर के दूसरे पहलू के रूप में कुछ लोग यह भी देखते हैं कि भागेदारी वैयक्तिक रुचियों पर आधारित सामूहिक क्रिया है । यदि सही प्रोत्साहन हैं तो कोई व्यक्ति उसमें भाग लेता है अन्यथा हतोत्साहन की विद्यमानता में वह भाग नहीं लेता । इस दृष्टिकोण से भागेदारी अधिकतर उचित प्रोत्साहनों से संभव है । बहुत से नीति निर्माता सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में इसी प्ररिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं । तो भी गरीब ग्राम वासियों के पास घटिया गतिशीलता और संस्थागत पहुंच न होने की वजह से बहुत सारे प्रोत्साहनों के मार्ग में विशेष बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उनके लिए कुछ मानक प्रोत्साहनों हेतु भागेदारी संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में लक्ष्य समुदाय के लिए उचित संगठनात्मक तकनीक अपनानी चाहिए । इसे "चेतना जागृति" के लिए "सामाजिक प्रौद्योगिकी" कहा गया है ।

इवान इल्लिच और पौलो फ्रेरे की "चेतना जागृति" का संबंध भारी शोषण,

...दबाव और [illegible] वातावरण ... गरीब लोगों में आत्म सम्मान और ...र्णय लेने की क्षमता पैदा करना है। ...रुषों और महिलाओं को इस बात ... लिए हिम्मत दिलानी है कि वे स्वंय ...ी सचेष्ट, रचनात्मक व्यक्ति समझें ...ौर विषयों को अच्छी तरह परखने, ...त्पादन क्षमता देखने और अपने प्राकृतिक ...ौर सामाजिक वातावरण को, वर्तमान ...ार्यों और आदतों को मानने की अपेक्षा, ...दलने की क्षमता पैदा करें। विशेष रूप ... फ्रेरे स्वंय से प्रश्न करने की प्रक्रिया ...र सामाजिक क्रिया के प्रतिस्थापन ...ढूंढने के लिए जोर देता है। इस विधि ... लिए यह आवश्यक है कि हल की ...ोज एक समूह में ही की जाए ताकि ...नकी निर्णय लेने की क्षमता और सामूहिक ...यास के लिए मतैक्य प्राप्ति को बढ़ावा ...मले।

"चेतना जागृति" प्रयास के लिए ...त्प्रेरक तत्वों का सामाजिक और आर्थिक ...रिवर्तन के लिए उपयोग होना आवश्यक ...। ये उत्प्रेरक तत्व नेतागण भी हो ...कते हैं जो कि बाहरी व्यक्ति न होने ...र उसी प्रणाली में समाहित हों। इससे ...थानीय लोगों की उनके लिए लिए गए निर्णयों ...र मौन सहमति प्राप्त करने में अपनी ...िर्णय और सामाजिक दबाव या धन ...ी शक्ति प्रयुक्त नहीं करनी पड़ेगी। ...सी विधियों में लोगों को निर्णय लेने ... आवश्यक समुचित तकनीकी सूचनाएं ...ामिल की जा सकती हैं, परन्तु सीखने ...ाले निर्णय करने वाले रहें—लोग ही ...पने उत्तर सहित समाने आएं न कि ...ोपे गये शिक्षा देने वाले।

...फल कार्यक्रम

...1. **बंगला देश की ब्राक सुल्ला प्रायोजना :–** ...ंगला देश ग्रामीण उत्थान समिति (ब्राक) ...ा कार्य 1972 में शिलट जिला के ...ुछ भागों (थानों) में प्रारंभ हुआ। ...स कार्यक्रम में स्वास्थ्य रक्षा, स्थानीय संगठनों ...ा निर्माण और शिक्षा सुविधाओं का ...िस्तार शामिल था। उस समय स्वतंत्रता ...ुद्ध के कारण हजारों-लाखों परिवार उजड़े ...ुए थे, लोग घायल और मकान ध्वस्त थे। ...सी के बाद विनाशकारी बाढ़ आई जिससे [illegible] की कमी के कारण सुल्ला [illegible] में और अन्यत्र भी अकाल का भय उत्पन्न हो गया।

ब्राक के क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने आधुनिक बीज और तकनीक अपनाकर गांवों के समीप प्रदर्शन बगीचे लगाए। क्षेत्र में फैली 12 प्रकार की आम बीमारियों के लिए इकत्तीस डाक्टरी शिक्षा के सहकर्मी रोग निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षित किए गए जिन्होंने लगभग 220 गांवों में नियमित रूप से दौरा करना प्रारंभ किया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत बांधों के पुश्ते मजबूत किए गए और सिचाई की नहरों का निर्माण किया गया जिससे कि बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम हो। ब्राक ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की साधारण योजनाएं बिना इनमें आपसी तालमेल के शुरू कीं। बाद में ब्राक ने निर्णय लिया कि अपनी कार्यप्रणाली की समग्र उपलब्धि प्राप्त करने का मार्ग अपने कार्यक्रमों के शैक्षिक घटक को दृढ़ करना और अन्य कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के और अनकूल बनाना है। प्रारंभिक कार्यक्रम और सामग्री को नया आकार देने का एक प्रयास किया गया। गांवों में शिक्षा के विस्तार के लिए कक्षाएं लगाई गईं और उनमें परिवार नियोजन, सफाई, स्वास्थ्य और पोषण, कृषि कार्य आदि पर विचार विमर्श और अन्य संबंधित ज्ञान उन्हें दिया गया तथा ग्रामवासियों के व्यावहारिक ज्ञान के अनुकूल नए आवश्यक और व्यवहार्य सुधार लागू किए गए। ब्राक ने उन गांवों में जहां ये योजनाएं लागू की गईं, सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने पर भी जोर दिया।

जब ब्राक ने चार वर्ष पश्चात् सुल्ला थाना में अपने कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया तो यह पता चला कि जिन लोगों की निर्णय लेने में सबसे ज्यादा भूमिका थी और जिन्हें ब्राक की सेवाओं से सबसे ज्यादा लाभ मिला वे सब लोग काफी बड़े भू-स्वामी थे। इसलिए ब्राक ने अपने कार्यक्रम के चौथे चरण में इसे पुनर्गठित करने का निर्णय लिया ताकि अधिक प्रभावी तरीके से [illegible] पहुंचे। इसी [illegible] कर स्वास्थ्य रक्षा के लिए [illegible] भर्ती और प्रशिक्षण प्रारंभ किया। [illegible] शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक पाठ्यक्रम से हटा कर अनपढ़ों के लिए क्रियात्मक शिक्षा देने हेतु बनाया है जिससे गरीब लोग संयुक्त बचत और सहकारी कृषि जैसे क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में भाग लें। लोगों में समान समस्याओं के प्रति 'चेतना जागृति' और उनको सुलझाने के लिए सम्मिलित प्रयास करने की संभावनाएं भी देखी गईं।

2. **बोलिविया की अयनी रूवे प्रायोजना :–**जिस प्रकार कुछ भारतीय आदिवासी जातियां अपनी मूल मान्यताओं, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का सतत् प्रयास कर रही हैं उसी प्रकार स्पेनिश भाषा वाली कुछ जातियां बोलिविया में भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए यह प्रायोजना बोलिविया के कोचाबुम्बा प्रदेश के दो समुदायों के लिए सन् 1974 में प्रारंभ की गई। एक सामुदायिक सहकारिता स्थापित की गई जिसमें सदस्य समुदायों द्वारा उत्पादित सामान का भण्डार रखा गया। पहले-पहल यह सामान प्रचलित व्यापारिक केन्द्रों के माध्यम से बेचा गया और प्राप्त धन से ऐसा सामान खरीदा गया जिसका निर्माण वहां नहीं होता था। बाद में स्थानीय उत्पादित सामान को दूसरे समुदाय की सहकारिताओं से बदले में आदान-प्रदान करना प्रारंभ किया।

1974 में 2 सहकारी समिति 600 लोगों की सेवा में थीं। 1977 में यह संख्या पहुंचकर 58 हो गई जिनके माध्यम से 14,000 लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। आदान-प्रदान की इस प्रणाली से समुदायों को विशिष्टीकरण का लाभ मिला। कोई समुदाय मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई अनाज, कोई फल और कोई सूखे मेवे आदि का उत्पादन करने लगा। शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों द्वारा नूडल्स, मोमबत्ती और साबुन आदि बनाना प्रारंभ हुआ। कोचबुम्बा क्षेत्र के बुनकर

एल्टिप्लेनो समुदायों से ऊन प्राप्त कर उनके वस्त्र बनाने लगे। इनसे प्राप्त आय का चार भागों में वितरण किया गया। एक हिस्सा दस्तकारी निर्माताओं को, दूसरा भाग उत्पादन अनुसंधान और अभिकल्पन और अधिक बुनकर इकाइयों की स्थापना पर, तीसरा हिस्सा अपनी प्रदेश के सामाजिक सम्पर्क कार्यक्रमों के विस्तार में सहायता के लिए और चौथा भाग सामुदायिक सार्वजनिक निर्माण पर व्यय किया गया।

सहकारी समितियों के अतिरिक्त 22 सामुदायिक केन्द्रों (अयनी वासी) की स्थापना भी की जा चुकी है। ये केन्द्र सामाजिक आन्दोलन के केन्द्र बिन्दु हैं। नवीन सूचनाओं के व्यापक प्रेषण और संगठनात्मक ढांचा बनाए रखने के अतिरिक्त आयनी वासी में थियेटर, कठपुतली नाच, रेडियो कार्यक्रम और पत्रकारिता से संबंधित केन्द्र भी हैं। इनसे लोगों में सांस्कृतिक भावना बढ़ती है और वे सामूहिक प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अयनी वासी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और निर्णय लेने वाली परिषदें हैं और इनके नेता आंदोलन के संगठनकर्ता हैं।

3. और अधिक सफल प्रायोजनाओं के उदाहरण में फिलीपीन का उदाहरण दिया जा सकता है जहां लोगों ने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जोकि गरीब लोगों को उनकी जमीन के पट्टे नहीं दे रहे थे, सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हैती में यह देखा गया कि यदि सरकारी सहायता समय पर मिले तो गरीब लोग विकास कर सकते हैं। श्रीलंका में सर्वोदय श्रदाना आन्दोलन के द्वारा 1000 गांवों का कायापलट किया गया। इस आन्दोलन के द्वारा नई कार्यक्रम गतिविधियों और संगठनात्मक तरीकों को बताया गया जिससे आर्थिक विकास के लिए नैतिक बल को बढ़ावा मिला। भारतीय राष्ट्रीय डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड ने डेरी सहकारिता के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। अध्ययनों से पता चला है कि यह कार्यक्रम ऊपरी स्तर पर उच्च दक्षता और भ्रष्टाचार रहित क्रियान्वित हुआ तथा इसका जहां एक ओर सदस्य गांवों के गरीब से गरीब तक को सामाजिक और आर्थिक लाभ मिला वहीं दूसरी और शहरी जनता को उचित कीमत पर अच्छी किस्म का सामान भी मिला। इससे एक बड़ा फायदा यह हुआ कि जातिवाद की सीमाएं कमजोर हुई।

इन संबंधित आशाप्रद अनुभवों में कई विविधताएं मिलती हैं। कुछ मामलों में सरकार की ओर से प्रेरणा और शुरूआत हुई है। जबकि अन्य में नीचे की तरफ से प्रयत्न किए गए : इनके विषय भी अलग-अलग रहे। कुछ का संबंध दूध और सिंचाई से है जबकि कुछ का ग्रामीण समुदाय की अन्य समस्याओं से। कुछ केवल मात्र गरीबों के उत्थान के लिए हैं जबकि औरों में भलाई के लिए जो कार्य रखे गए हैं उनमें किसी के प्रति भेद नहीं है। इन सभी में एक बात निश्चित तौर पर थी कि किसी भी प्रायोजना में "सम्पर्क साधनों की बाधा" नहीं थी।

स्पष्ट तौर पर एक बात अवश्यक है कि निजी या सरकारी, एक उद्देश्य या बहूद्देशीय, व्यापक रूप में या छोटे रूप में अथवा विभिन्न लक्ष्य समूहों वाले उन कार्यक्रमों की सफलता में अन्तर के कई कारण और स्थितियां है। प्रत्येक प्रायोजना के अन्तर्गत उसकी "आधारभूत आवश्यकताओं" को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के स्थान, समय आदि निश्चित और कार्य करने वाला दृढ़ संगठन बनाकर कार्यक्रम बनाया गया। प्रायोजना से, कार्यक्रम की रूपरेखा, लाभान्वितों की आवश्यकता और संगठन को प्राप्त क्षमता के आधार पर, पर्याप्त और संतोषजनक लाभ मिला।

सफल कार्यक्रमों की जांच करने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि योजनाओं की रूपरेखानुसार कार्य करने से ही संयोग से ही विकास कार्य में लाभ मिलता है। "सफल कार्यक्रम" जैसे वे बनाए गए थे क्रियान्वयन के दौरान वे वैसे नहीं रहे। ग्रामवासियों और कार्मिकों के ज्ञान और सहयोग से वह इस रूप में ढला और लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की आवश्यकता क्षमता और सहायता देने वालों के बीच एक ऐसा कार्यक्रम बना कि वह सफल रहा। इसमें मुख्य भूमिका "योजना रूपरेखा" की अपेक्षा नेतृत्व और मिलकर काम करने की भावना की रही। इस ग्राम्य अनुभव में प्रायः जो मुख्य कार्यकर्ता थे वे प्रारंभ में ही इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने पहली बार में ही उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की प्रकृति को परख कर जो आवश्यक समझा वह प्रभावी रूप में किया। लाभ प्राप्तकर्त्ताओं और योजना के बीच समन्वय की समस्या में प्रगति हुई और या तो कार्यक्रम की आवश्यकताओं को देखते हुए एक सहायक संगठन की रचना करने की सोची गयी अथवा अन्य विद्यमान संगठनों की क्षमताओं की सेवाए इसे अनुकूल बनाने के लिए प्राप्त की गयी। कार्यक्रम और संगठन दोनों सीखने की प्रक्रिया से बाहर आए और उनकी गतिविधियां समग्र रूप में जुड़ी।

"सम्पर्क बाधा" को दूर हटाने के लिए ग्रामीणजनों को विश्वास में लेना जरूरी है। किसी भी केन्द्र प्रायोजित योजना का "खाका" उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए। ग्रामीण लोगों में भी सीखने और परिवर्तित होने की काफी क्षमता जरूरी है। "खाका" योजनाओं अथवा ऊपर से नीचे की ओर सिद्धांत वाली योजनाओं में यह सोच लिया जाता है कि कार्यक्रम की तैयारी में आवश्यक जानकारी-क्षमता चाहने वाले संगठनों में अपने आप पैदा हो जाएंगी। ये योजनाएं जानकारी को निर्णय और क्रियान्वयन से पृथक करती हैं ऊपर से नीचे की ओर वाली योजनाओं में ग्रामीण समाज से दिन-प्रतिदिन का सम्पर्क रखने वाले जैसे कि प्रशासन और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता लोग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कभी कभी ये लोग स्वयं को काफी निराश अनुभव करते हैं जब वे यह देखते हैं कि निर्णय लेने में उन लोगों का हाथ है जो वहां से बहुत दूर हैं, जैसे कि योजना बनाने वाले लोग

लोगों को कितनी जानकारी है और क्या-क्या उनके साधन हैं इस बात की जानकारी रखने के कई लाभ हैं। इससे उनके लिए समायोजन करना आसान हो जाता है और उनकी आवश्यकताओं के

[illegible] समझते हैं कि उनकी कुशलता घट जाएगी और बाहरी कार्यक्रमों, विशेषज्ञों और आपूर्ति करने वालों पर, जिन पर कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, निर्भरता बाढ़ जाएगी ।

उपसंहार

"सम्पर्क बाधा" योजनाओं की दोषपूर्ण रचना और धारणाओं की उपज है । कभी बृहत् उन्नति और बृहत् आय पर, बिना यह जाने ही जोर दिया जाता है कि इनसे बेरोजगारी, प्रादेशिक. भेदभाव और असमान वितरण की समस्याएं पैदा होती हैं । दूसरी तरफ इसके विरुद्ध "आधारभूत आवश्यकताओं" पर बिना यह समझे ही जोर दिया जाता है कि किस समुदाय की वास्तविक समस्या क्या है और उस के हल के वांछित साधन क्या हैं । वस्तुत: "आधारभूत आवश्यकता" कार्यक्रम 'गरीबी हटाओ" या "विकास करो" या बेरोजगारी घटाओ" आदि कार्यक्रमों से दृढ़ और सकारात्मक कार्यक्रम है । "आधारभूत आवश्यकता" पर आधारित कार्यक्रम में, स्वास्थ्य सुधार, पोषण और बेसिक शिक्षा विशेषकर बेहतर सार्वजनिक सेवाओं जैसे ग्रामीण जल प्रदाय, स्वच्छता और प्राथमिक विद्यालयों पर जोर दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि इन सुविधाओं के देने से गरीबी पर अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अपेक्षा उन कार्यक्रमों के जिनके [illegible] को पूरा करने की अपेक्षा अधिक वृद्धि और अधिक आय पर दिया गया है ।

ग्रामीण आयोजनाओं की बृहत् आयोजना पद्धति पर केन्द्रीकृत योजनाओं पर अधिक बल दिया जाता है जो कि योजना निर्माता प्रायोजित करते हैं और नौकरशाही द्वारा इसका क्रियान्वयन होता है यह ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीकृत "खाके" का नमूना है । परन्तु यह आत्मनिर्भर युक्ति बनाने में असफल है । प्राय: ही इसमें अड़चने, राशि का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही आदि के दर्शन होते हैं । ये केन्द्रीकृत योजनाएं केवल "पिकनिक आर्थिकी" को जन्म देती हैं जिनका लाभ ग्रामीण अमीरों और संभ्रान्त वर्ग को मिलता है। केन्द्रीय योजना यह बताती है कि लोग क्या करें--- इस प्रकार वे सरकार की तरफ हर बात के लिए मुंह ताकने के आदि बन जाते हैं । विकास प्रक्रिया में 'सम्पर्क बाधा" पैदा करने में यह प्रमुख कारण है ।

हम विकास प्रक्रिया में उपजी एक गंभीर विरोधाभास की स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां बड़े संगठनात्मक परिवर्तन और सीमिन आर्थिक साधनों के उचित बटवारे में सक्षम दृढ़ केन्द्रीय शक्ति और ऊपर से आर्थिक समानता की आवश्यकता मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सहयोगी समुदाय में उसे संगठित [illegible] रूप में प्रभावी भागीदारी [illegible] के अविच्छिन्न अंग हैं ।

यह निष्कर्ष विभिन्न राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों वाले देशों के उदाहरणों से निकाला गया है । "खाका" योनाएं और-जबर्दस्ती डांट-डपट की परिस्थितियों में ही सफल हो सकती हैं । ऊपर से निचली योजनाओं को मिली सफलता का कारण भय और उत्पीड़न ही है । परन्तु अधिकतर सफल कार्यक्रमों से इस धारणा को समर्थन मिलता है कि उनमें निर्णय लेने की कार्यवाई निचले स्तर पर हुई ।

इस निचले स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीण जनों की महत्वपूर्ण भूमिका है । यह प्रमाणित हो चुका है कि ग्रामीण लोगों में भी समय के साथ बदलने और नई-नई बातों को सीखने का पर्याप्त क्षमता है । उन्हें इस बात का अधिकार है कि अपने सामान्य जन-जीवन से बाहर की प्रौद्योगिकी के संबंध में अपनी शंकाएं व्यक्त करें । "सम्पर्क की बाधा" को इन लोगों पर अधिक उत्तरदायित्व डालकर और नीचे से ऊपर के कार्यक्रमों को नवीन आकार देने में इनका सहयोग लेकर काफी कम किया जा सकता है ।

अनु० हनुमान सिंह पंवार
54, मंदिर वाली गली
यूसुफ सराय,
नई दिल्ली -110016

"कुरुक्षेत्र" पत्रिका ग्रामीण विकास पर चर्चा के लिए एक मंच है जिसके जरिए ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में ताजा और उपयोगी जानकारी दी जाती है। अपने सुधी पाठकों से यह अपेक्षा है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेजें ।

सम्पादक

आधुनिक जीवन का प्राण है आधुनिक संचार साधन और सुविधाएं। दूसरे शब्दों में ये साधन ही प्रगति का आधार और साथ ही उसका माप दंड है। फिर यदि हम चाहते हैं कि गरीब लोग जंगलों से गांवों में, गांवों से कस्बों में, और कस्बों से नगरों में, और नगरों से महानगरों की ओर भाग कर न आएं तो हमें रोजगार और काम धंधे के साथ साथ संचार के साधन भी हर स्तर तक पहुंचाने होंगे और गरीब-अमीर तथा पिछड़े और विकसित हर वर्ग और हर क्षेत्र तक।

आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

इस समय हम विकास के लिए रोजगार आदि चीजों की चर्चा न करते हुए केवल विकास के एक ही पहलू—संचार साधनों— की ही चर्चा करेंगे और वह भी राष्ट्र के उस पिछड़े गरीब और शोषित वर्ग के संबंध में जिन्हें हम आदिवासी या जनजाति के नाम से पुकारते हैं।

स्पष्ट है कि आदिवासी लोग घने जंगलों पर्वतों और सीमा प्रदेशों में बसे हैं यानी कि आधुनिक सभ्यता और प्रगति के चमत्कारों और प्रकाश से दूर। अतः उन तक पहुंचने और सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि के उपादान उन तक पहुंचाने के लिए उनके जंगलों, पहाड़ों बीहड़ों और झोंपड़ियों तक रेल विमान, तार, डाक, टेलीफोन और रेडियो तथा दूरदर्शन की सुविधाएं पहुंचानी होंगी।

सड़कें और विमान

सौभाग्य से सीमा क्षेत्रों में सड़कों का, जाल बिछाने की ओर पिछले करीब दो दशक से सरकार ने काफी ध्यान दिया है। इस कारण चाहे उत्तर पूर्व का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम हो चाहे, उत्तर हिमालय में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सभी क्षेत्र प्रायः आदिवासी बहुल हैं और इनमें सड़कों का अच्छा जाल बिछ गया है जिससे आदिवासी जीवन का एक प्रकार से काया पलट ही हो गया है। अब देश का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां के लोगों को चार छह दिन पैदल चल कर अपने तहसील या जिला केंद्र पर या फिर हाट या मंडी में पहुंचना पड़ता हो।

सड़कों के इस जाल के बिछ जाने से आदिवासियों का बाकी देश के साथ सम्पर्क बहुत बढ़ा है उनके शिक्षा आदि का प्रचार बढ़ा है और अब वे शेष भारत के साथ केवल कहने या नारा लगाने के लिए नहीं, वास्तव में और निकट का रिश्ता महसूस करने लगे हैं। अलगाव की भावना काफी हद तक दूर हो गई है। सीमा क्षेत्र का मैंने विशेष उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में तो यह बात और भी अधिक लागू होती है।

वायु दूत नामक विमान सेवा का भी यहां उल्लेख करना उचित होगा। यह दूर दराज के इलाकों के लिए ही शुरू की गई, है जो प्रायः आदिवासी बहुल हैं।

डाक-तार

आइए अब डाक की सुविधाओं की ओर दृष्टि डालें। डाकघर तो आप जानते ही हैं, अब छोटे से छोटे गांव में खुल गए हैं। जहां पूरे समय काम करने वाले डाकघर नहीं है वहां छोटे डाकघरों की व्यवस्था है और जहां वह भी नहीं है वहां चलते फिरते डाकघरों का प्रबंध किया गया है और इसे और बढ़ाया जा रहा है।

डाकघर विभाग के निर्णय के अनुसार 1983–84 में ही, आदिम जाति क्षेत्रों में 580 नए डाकघर खोले जाने हैं। मध्य प्रदेश परिमंडल में 135, बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तर परिमंडलों में 70–70, गुजरात में 50, महाराष्ट्र और राजस्थान में 45–45, पं० बंगाल में 35, आन्ध्र प्रदेश में 30, केरल, कर्नाटक, उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश परिमंडल में पांच-पांच नए डाकघर खोले जाएंगे। स्थान का चुनाव कैसे किया जायगा? इसका आकार यह रखा गया है कि ये डाकघर जन जातीय क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों वाले उन गांवों में स्थापित किए जाएंगे, जिनके आसपास तीन किलोमीटर के भीतर कोई डाकखाना नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयत्न जारी है कि देश के किसी भी छोर पर या दूर से दूर गांव डाक खाने से तीन किलोमीटर दूर नहीं रहना चाहिए।

अब लीजिए एक और सुविधा जहां डाकघर नहीं है वहां गांव वालों के दरवाजे पर डाक की सुविधाएं पहुंचाने का भी लक्ष्य सरकार ने अपने सामने रखा है। 37,573 चलते फिरते ग्रामीण डाकघर तो पहले ही काम कर रहे हैं और 69,743 गांवों तक यह लाभ जा पहुंचा है जिसमें आदिम जातीय गांव भी शामिल हैं। अब इसी वर्ष 1983–84 में ये चलते फिरते डाक खाने 1,750 गांवों को और छू लेंगे।

कल्पना कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख या बस्तर के पहाड़ों पर छितरे या जंगलों में बसे वनवासियों की झोंपड़ी पर डाकिया दस्तक देगा तो आज तक अलग अलग पड़ा और दुनिया भर से कटा हुआ गरीब आदिवासी कितना खुश होगा और अपने को सारे देश के साथ कितना निकट से जुड़ा अनुभव करेगा।

टेलीफोन

टेलीफोन तो अभी भी शहरों तक में हर आदमी के बूते की बात नहीं और आमतौर से डाकतार विभाग भी तार और टेलीफोन की सुविधाएं वहीं उपलब्ध कराता है जहां इनसे लाभ प्राप्त होता हो। किन्तु अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्र तो सबके सब पिछड़े क्षेत्र ही हैं, विभाग की नीति ठीक उलटी है अर्थात वहां पर तार और टेलीफोन पहुंचाने के लिए वह घाटा उठाने को भी तैयार रहता है।

जनजातीय या आदिवासी गांवों में टेलीफोन कैसे कहां और किस आधार पर दिया जाए, इसका भी एक फार्मूला है।

[illegible] है और इसकी जनसंख्या [illegible] से कुछ ऊपर हो जाती है तो वहां एक सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिया जाएगा । यह तो आप जानते ही हैं कि व्यक्तिगत टेलीफोन तो कितने आदिवासी लोग ले सकते हैं पर वे लोग टेलीफोन की सुविधा से वंचित तो नहीं रहेंगे ।

यहां कुछ अंकड़ों को देखना भी उचित होगा क्योंकि इनका अधिक संबंध जनजातीय क्षेत्रों से है । देशभर में कुल 1561 तहसील केंद्र हैं । इनमें से 148 में अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन नहीं पहुंचे हैं । इन 148 में से 139 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, चार जम्मू काश्मीर और तीन उड़ीसा और दो हिमाचल प्रदेश में हैं । इनमें से उत्तर पूर्व के 40 तहसील केंद्रों में और जम्मू-काश्मीर उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश के बाकी बचे सभी तहसील केंद्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन इसी योजना के दौरान पहुंचा दिए जाएंगे । शेष में यह सुविधा अगली अर्थात सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुहैया कर दी जाएगी ।

विशेष तकनीक

यह भी सहज में ही समझा जा सकता है कि इतने दूर दराज के और पहाड़ी क्षेत्रों में तार की लाइनें ले जाकर टेलीफोन लगाना काफी कठिन होगा । अत: ऐसी जगहों पर एक नई और बहुत उन्नत तकनीक के जरिए टेलीफोन संबंध जोड़े जाएंगे, जिसे 'मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम' कहा जाता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां राष्ट्र ने गरीबी दूर करने और हर दुखिया के आंख का आंसू पोंछने का संकल्प लिया है वहां गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े वर्ग तक आधुनिक संचार साधन पहुंचाने का भी वैसा ही पक्का इरादा है । और इसकी जो भी कीमत होगी चुकाई जाएगी । ☐

सूर्य नारायण सक्सेना
बी-79, स्वास्थ्य विहार,
दिल्ली-110092

स्व-भाव: वृक्ष की जिजीविषा

—रामजी मिश्र

मैंने शैशव की आंखों से,
देखी थीं पर्वत मालाएं,
धनहरे खेत की हर कलंगी,
के संग झूमती बालाएं,
मेड़ों पर अग्रज से बबूल,
चेतन अगोरते खेत खड़े,
बरगद दादा के कंधों पर,
पक्षी सुस्ताते बड़े-बड़े ।
धरती ने धड़कन दी अपनी,
जड़ता को फोड़ उगा अंकुर,
काली मिट्टी का हास मृदुल,
पीताभ पत्र का ले संपुट ।
अमृत कण नभ ने बरसाए,
सूरज साहस पर मुस्काए,
थी जिजीविषा मेरी ऐसी,
वातास जिसे नित दुलराए ।
लेकिन मेरा जिद्दी माली,
मुझको कस्बे में ले आया,
थी चहलपहल-सी मेले की,
था मेरा यौवन भरमाया
सिक्कों की खनक गूंजती थी,
बाजार सजी दूकानों की ।
हहराता ज्यों सागर अपार,
थी भीड़ बड़ी इन्सानों की ।
नील पहाड़ियां दूर हुईं,
अपनों से टूट गए नाते,
फिर भी रातों की बाँहों में,
सपने मुझ को दुलरा जाते ।
यों समय सरकता गया और,
मैं झबरा वृक्ष बना सुंदर,
हलचल यंत्रों का बढ़ा और,
कस्बा बन गया नगर सत्वर ।
मेरी समृद्धि उसकी श्री थी,
उसकी उन्नति से मैं हर्षित,
मैं उसके शैशव का साक्षी,
वह था मेरा रक्षक गर्वित
मानव ने दगा किया मुझसे,
करके प्रहार घातक तीखे,
बांहें काटीं, सिर अलग किए,
मुझ से भी जड़ मानव दीखे।
मानव की बुद्धि व्यावसायिक,
मुझको अपना प्रतिरूप गढ़ा,
पर धरती के अंतस से मैं,
पीता हूं अमृत खड़ा खड़ा ।
मेरी जिजीविषा डालों में,
पत्तों फूलों में झूमेगी,
फिर मेरे कंधों को आकर,
चिड़ियों की टोली चूमेगी
मैं फिर रसभरे फल से भर,
छाया दूंगा, सुख बाटूंगा,
मानव के मन का तृषा पाश,
मैं बोधि वृक्ष बन काटूंगा ।

1644, सोहनगंज,
सब्जीमंडी,
दिल्ली-110007

प्रदूषण का प्रभाव धीरे-धीरे गांवों की ओर बढ़ने लगा है। शहरों में यह औद्योगिकरण जिससे गन्दी वायु एवं जल निकलता है, मोटर गाड़ियों एवं कूड़ा करकट के कारण होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह रसायनिक खादों, कीटाणुनाशक दवाओं, वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, मिट्टी के अपरदन, नहरों द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर के ऊंचे उठने, भूमि में लवणता की मात्रा बढ़ने से बंजरता में वृद्धि और स्वच्छता पर कम ध्यान, जिससे बीमारियों का प्रकोप तीव्र हो जाता है। घरों में भीड़, मकानों की बुरी स्थिति अन्य सुविधाओं जैसे पेय जल की कमी, शौचालय, स्नानघर का अभाव, मकानों में मवेशी तथा आदमियों का साथ-साथ रहना, बाढ़ के कारण असुरक्षा, घरों में सीलन, सामाजिक तनाव, जातिवाद, ऊँच-नीच, छुआ-छूत बंधुआ मजदूर, आर्थिक विषमता सभी प्रदूषण के अंग हैं। ग्रामीण इलाकों में गरीबी भी प्रदूषण का एक कारण है तथा गरीब वर्ग प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार हैं।

प्रदूषण के उपर्युक्त तथ्यों को हम मोटे तौर पर कई भागों में बांट सकते हैं, यथा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, जन-संख्या प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण।

ग्रामीण इलाकों में ईंट के भट्टे लगाए गए हैं। भट्टों में कोयले का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जिससे सल्फर डाईआक्साइड निकलती है। भट्टे वाले क्षेत्रों में आम का वृक्ष अधिक प्रभावित होता है, फूल निकलते ही सूख जाते हैं। कुछ पौधों में क्लोरोफिल का अभाव तथा स्टोमेटा कार्य करना बन्द कर देता है।

गांवों में अधिकांशतः घरों में लकड़ी, गोबर के कंडे के सहयोग से खाना पकाया जाता है। यह क्रम प्रतिदिन 7-8 घण्टे तक होता है। इसके दौरान औरतें उससे उठने वाले धुआें से प्रभावित होती हैं। नवीनतम अनुसन्धानों से यह पता चलता है कि यह धुआं सिगरेट पीने से भी कई गुना हानिकारक है। फसलों की कटाई-मड़ाई के दौरान वायु में भूसों की कणों की मात्रा, जगह-जगह पर खर-पतवार को जलाने से, पालेनग्रेन के कारण, खुले शौच, खुली नालियों के कारण भी वायु प्रदूषित हो जाती है, आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में अधिकाधिक संख्या में गोबर गैस संयंत्र लगाए जाएं जिससे स्वच्छता के साथ-साथ ईंधन की समस्या के समाधान एवं प्रदूषित वायु होने से बचाने में भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या

※ प्रमोद सिंह

वायु प्रदूषण

ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण स्वयं में तो कम होता है परन्तु अगर कारखाने, जिनके द्वारा प्रदूषित गैसें निकलती हों तथा पास में स्थित हों तो ग्रामीण क्षेत्रों की भी वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु की कोई सीमा नहीं होती है। वह वायु की गति एवं दिशा से प्रभावित होता है मथुरा तेल शोधक कारखाने के आस-पास, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र के समीपवर्ती गांवों में वायु प्रदूषित हो गई है। मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टरों, डीजल नलकूप से वातावरण प्रदूषित होने लगता है।

अल्यूमिनियम, फास्फेट खाद के कारखानों से फ्लोराइड निकलता है जिससे पेड़ों की पत्तियां, फल इत्यादि प्रभावित होते हैं। फ्लोराइड के द्वारा कमजोरी, दांतों में सड़न, लंगड़ापन, जोड़ों में दर्द होता है। मिर्जापुर में हिन्डालको अल्यूमीनियम संयंत्र के आसपास के 5 कि० मी० की परिधि के क्षेत्रों में पशुओं के दांतों की सड़न की बीमारी बहुत ही आम है। घास चारे में भी फ्लोराइड का जमाव हो गया है जोकि उनका भोजन है। इन क्षेत्रों के मक्के, बाजरा, मटर, चना, जौ के दानों में फ्लोराइड 8.0 से 13.5 पी० पी० एम० तथा भूमि में 18 से 160 पी० पी० एम० के बीच पाया गया है।

पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। विषाक्त गैसें यथा सल्फर डाईआक्साइड, फ्लोराइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाई-आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड का पादप जीवन पर विनाश-कारी प्रभाव पड़ता है। पौधे वायु प्रदूषण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित होते हैं। इनसे पौधों की संरचना के साथ-साथ अन्य कार्यकीय एवं जैव रसायनिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं जिससे उनकी वृद्धि तथा विकास कम हो जाती है, साथ ही साथ आर्थिक उत्पादन में भी 15 से 50 प्रतिशत की कमी आ जाती है।

प्रदूषित वायु के प्रभाव से एक्जीमा, मुहांसे, एंथ्रक्स, कैंसर, श्वास नली में क्षोभ, आंखों की बीमारी, सूजन, फेफड़ों का रोग, एस्बेस्टासिस, वेगासोसिस आदि बीमारियां होती हैं।

ध्वनि प्रदूषण

ऐसा माना जाता था कि गांवों में शांति अधिक होती है परन्तु यह भी आधुनिकता की दौर में शोरपूर्ण होता जा रहा है। जो गांव शहर के समीप हैं वहां भी अधिकतम शोर होता

[illegible] भारी [illegible] और बुरी स्थिति होती [illegible], स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल की आवाज [illegible] सभी हैं। नलकूपों, डीज़ल पम्प सेट, फसलों की कटाई-मड़ाई, आटा चक्की, लोहे का काम, पत्थरों की कटाई, धार्मिक भजन कीर्तन, शादियों में बड़े पैमाने में लाउड-स्पीकर का उपयोग, ऊंची आवाज में बातचीत, बैलगाड़ियों की चरमराहट, चिल्ला-चिल्ला कर एक घर से दूसरे घर के बीच झगड़े, गाली-गलौच ये सभी शोर के अंग हैं। घरों के अन्दर रेडियो, ट्रांजिस्टर का उपयोग, बर्तनों की खड़खड़ाहट, मसालों का पीसना, ओखल में अनाज कूटना, बच्चों का चिल्ला-चिल्ला कर रोना, पति-पत्नी के आपस में लड़ने से घर के बीच शांति का वातावरण भंग होता है। आपस में लड़ने-झगड़ने से तनाव, हृदय की धड़कन तीव्र तथा रक्त संचार शरीर के अन्दर तेजी से होने लगता है।

70-80 डेसीबेल से अधिक शोर होने के पश्चात् उसके परिणाम बुरे होने लगते हैं। इससे कार्यक्षमता में कमी आती है झुंझुलाहट पैदा होती है तथा शारीरिक तनाव बढ़ता है। अधिक ध्वनि से कान का बहना, बहरापन आता है। शोर से मस्तिष्क, केन्द्रीय तंत्रिका संस्थान, गर्भवती महिलाओं के गर्भपात, बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव, पेट की बीमारियां उत्पन्न होती हैं।

जल प्रदूषण

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पीने के पानी, सिंचाई के स्त्रोत नदियां, नहरें, कुएं एवं तालाब तथा नलकूप हैं। जिन गांवों के समीप से नदी गुजरती है वहां पर तो पीने के पानी, नहाने, पशुओं, सिंचाई इत्यादि के लिए नदी का जल ही प्रयोग किया जाता है। गंगा, यमुना, हुगली, दामोदर, गोदावरी, कावेरी, जैसी बड़ी नदियां, डल, वूलर, नैनीताल, जैसे महत्वपूर्ण झील प्रदूषित हो चले हैं। इनके प्रदूषण का प्रमुख कारण अपमार्जकों, उर्वरक, औद्योगिक अपशिष्टों तथा मल-मूत्र का बड़े पैमाने पर डाला जाना है। गांवों में तालाबों को कई वर्षों तक साफ नहीं किया जाता है तथा उसी में लोग स्नान करते, पानी पीते, कपड़ा साफ करते तथा मवेशियों को स्नान एवं पानी पिलाते हैं। उसमें तरह-तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं इन सबसे तालाब भी प्रदूषित हो जाता है।

प्रदूषित जल पीने से हैजा, मोतीझरा, पोलियो, पीलिया एवं पेचिस, टाइफाइड, तथा उसमें स्नान करने से वाइल रोग एवं शिस्तोसोम होता है।

प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर तरह-तरह के जीवाणु अनाज के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्रदूषित जल का, उन तरह के सब्जियों के सिंचाई में उपयोग नहीं करना चाहिए जो भूमि के अन्दर उगते हैं, यथा आलू, प्याज, लहसुन, मूली तथा जो धरातल से थोड़े ऊपर यथा गोभी इत्यादि।

खुले शौच और मेले, स्नान पर्व के समय लाखों की संख्या में नदियों में स्नान करने से जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण की, [illegible] में जल कम हो जाने के कारण नदियों, तालाबों कुंओं में और बढ़ जाती है। जोधपुर के फलोदी तहसील के [illegible] गांव में पीने के पानी का एक मात्र स्त्रोत एक पोखर है जो प्रदूषित हो गया है जिसके पानी के पीने से 50 गाएं मौत के मुख में चली गईं। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में युद्ध स्तर पर स्वच्छ पेय जल की सुविधा प्रदान की जाए।

जनसंख्या प्रदूषण

प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। अधिक जन-संख्या के कारण मांग में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से खेत का विखण्डन प्रारम्भ हो जाता है। एक पिता के अगर पांच पुत्र हैं तो खेत पांच भागों में बट जाता है और पुनः उन के बच्चों में भूमि का विभाजन होने लगता है और आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं।

गांवों के अधिकांश वर्ग के लोगों में अधिक बच्चे होते हैं। उपयुक्त भोजन न होने के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार होकर मौत के मुख में चले जाते हैं। बाल मृत्यु-दर, सफाई, दूध की कमी के कारण भी अधिक होता है। गरीबों के बच्चे 10 साल से ही अपने मां-बाप के साथ कम से कम वेतन पर काम करने लगते हैं। गांवों में गरीब तबके के लोग ही सरकारी प्रयत्न के बावजूद भी बन्धुआ मजदूरी के शिकार हैं। आज अगर प्रदूषण का सबसे अधिक शिकार है तो वह है गरीब। प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में साक्षर बनाने के साथ-साथ उनको सीमित परिवार रखने तथा उनसे होने वाले लाभ के विषय में बताने की आवश्यकता है। यही सबक परिवार कल्याण विभाग द्वारा परिवार नियोजन के साथ-साथ सिखाना उपादेय होगा।

गांवों में भ्रष्टाचार की जड़ें भी मजबूत होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का ह्रास यथा चोरी, व्यभिचार, झूठ, धोखा-धड़ी भी आम हो गई है जिसे हम नैतिक प्रदूषण कह सकते हैं। भ्रष्टाचार, अगर सभी लोग घूस देना बन्द कर दें या सामाजिक बहिष्कार व्यक्ति विशेष का करें तो रुक सकता है।

महिलाओं, बच्चों का शोषण, समान कार्य पर भी कम वेतन, चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खेतों में एवं भारी काम करना, छोटी जाति की स्त्रियों का दुरुपयोग करना, आम बात हो गई है। यह एक सामाजिक अपराध है जिसको दूर करने के लिए हर वर्ग के लोगों का सामने आना होगा।

बेरोजगारी की समस्या भी गांवों में बड़ी ही विकराल है। देश के कार्यात्मक जनसंख्या का 70 प्रतिशत कृषि में लगी है। पिछले आठ दशकों में कृषि पर निर्भरता बढ़ी है जबकि इसे घटाकर 20 प्रतिशत की जा सकती है। अधिकांश लोग काम न मिलने के कारण इस व्यवसाय में लगे हैं। काफी लोग फसलों की बुवाई-कटाई का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् शहरों में रिक्शा, ट्राली चलाने तथा मजदूरी करने आ जाते हैं। यही लोग शहरों में झुग्गी-झोंपड़ियों के जन्म में भी सहायक होते हैं, जो बाद में अपराधी तत्वों के शरणास्थल बन जाते हैं।

ट्राइसेम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अच्छी तरह लागू किया जाए तो सारे मसले दूर हो सकते हैं।

भूमि प्रदूषण

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तरह-तरह के रसायनिक खाद, कीटाणुनाशक दवाओं, डी० डी० टी० के उपयोग से भूमि में विषैली तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होने के कारण कृषि के तौर-तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा है। कीटाणुनाशक दवाईयां; डी० डी० टी०, चारे के द्वारा जानवरों के शरीर में तथा खाद्यान्नों द्वारा मनुष्य के अन्दर चला जाता है।

तालिका

मिट्टी में कीटाणुनाशक दवाईयों की आयु सीमा

कीटाणुनाशक दवाईयां	एक वर्ष बाद बचे भूमि में दवाईयों की मात्रा (प्रतिशत में)	70 से 95 प्रतिशत दवाईयों के समापन का समय वर्षों में)
एल्ड्रीन	26	1–6
हेप्टाक्लोर	45	3–6
क्लोरोडेन	55	3–5
लिंडेन	60	3–10
डेस्ड्रीन	75	5–25
डी० डी० टी०	80	4–10

ये दवाईयां जो फल जमीन के अन्दर उगते हैं उनको अत्यधिक प्रभावित करते हैं तथा धरातल से ऊपर उगने वाली फसल भी प्रभावित होती हैं। इससे उत्पादन तथा आकृति में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यह मानव के अन्दर भोजन के द्वारा प्रवेश कर विनाशकारी प्रभाव डालता है। ये तत्व जल रिसने के साथ-साथ भूमिगत जल से मिलकर उसे भी विषाक्त कर देता है जो कुओं द्वारा पीने के काम लाया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कटाई तीव्र गति से हो रही है। वन नीति के अनुसार देश के 33 प्रतिशत क्षेत्रों में वन होने चाहिएं जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1/3 भागों में रहना चाहिएं। परन्तु देश के केवल 22.3 प्रतिशत भू-भाग पर ही वन पाए जाते हैं। वनों का कटाव पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत तीव्र गति से हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस कटाव का बड़े पैमाने पर रोका गया। "चिपको आंदोलन" तो विश्व के कई भागों में फैल गया है। इसका नारा है "क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और ब्यार"। इसकी जन्मदाता ग्रामीण अनपढ़ महिलाएं हैं। "चिपको आन्दोलन" का वास्तविक शुरूआत भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन जोधपुर (राजस्थान) के खेजड़ली गांव में हुआ था जब अमृता देवी के साथ 362 बिश्नोई स्त्री-पुरुष पेड़ के रक्षार्थ शहीद हुए थे।

उत्तराखण्ड में पहले प्राकृतिक मिश्रित वन थे। इससे स्थानीय लोगों को कन्द-मूल, फल एवम् चारा मिलता था। बाद में इन्हें काटकर शंकुधारी चीड़ के एकल वन लगाए जाने लगे जिससे उपर्युक्त वस्तुओं का अभाव होने लगा और स्त्रियों का जीवन अधिक कष्टमय हो गया। जनवरी, 1978 में महिलाओं ने कहा "जंगल हमारा मायमा है" और उन्होंने पेड़ों का रक्षा बन्धन किया। वनों से होने वाले लाभ को जनमानस तक पहुंचाने के लिए लोक गीतों, पद यात्राओं का उपयोग किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1977 में बिहार वन विकास निगम ने छोटा नागपुर के वनों के आर्थिक मूल्य बढ़ाने के लिए प्राकृतिक साल के वनों को काटकर सागौन के वृक्ष लगाने शुरू किए जिसका सिंहभूमि के आदिवासियों के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। आदिवासियों ने नए पेड़ों को उखाड़ना शुरू किया जो बाद में दंगों के रूप में भड़क गया। अदिवासियों के इस विरोध ने ही समीपवर्ती आदिवासी लोगों के क्षेत्रों को मिलाकर झारखण्ड राज्य की मांग को जन्म दिया।

वनों का कटाव, मकानों, कारखानों, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के समय तेजी से होता है। लगभग सम्पूर्ण वन क्षेत्र सरकार के अधीन होने के बावजूद वनों की कटाई में तीव्रता आई है। वर्ष 1956 के बाद कर्नाटक में 2,22,728 हैक्टेयर वनों की कटाई केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिए की गई। वनों की कटाई से हर वर्ष बाढ़, सूखा एवं अकाल पड़ता है। वनों का भूमि पर आवरण बरसात के झूले को झेल लेता है और उसकी तीव्रता कम कर देता है। पेड़-पौधों की जड़ें मिट्टी को अपने जाल में जकड़े रहती हैं और भूक्षरण, भूस्खलन को रोकती है।

देश की कुल 32.8 करोड़ हैक्टेयर भूमि का 14 करोड़ हैक्टेयर भूमि प्रति वर्ष हवा या पानी के कटाव का शिकार होती है। लगभग 6,000 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी हर वर्ष भूकटाव के कारण बह जाती है। धरातल पर कुछ इंच उपजाऊ सतह बनने में 500 से 1,000 वर्ष लगते हैं। इस कीमती मिट्टी का बड़ा भाग, समुद्र में बहकर बर्बाद हो जाता है शेष भाग नदियों के तल, बांध के जलाशयों आदि की तली में बैठ जाता है। आन्ध्र प्रदेश में निजाम सागर जलाशय की क्षमता पिछले पच्चीस वर्षों में घटकर आधी रह गई है। भाखड़ा बांध बनाते समय यह सोचा गया था कि उसमें नदी के जल के साथ 240 लाख टन के हिसाब से मिट्टी गिरेगी अब यह मात्रा बढ़कर 330 लाख टन हो गई है। इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी बहकर आने से 35,000 करोड़ लागत की सिंचाई एवं विद्युत परियोजना अपनी उम्र खोती जा रही है।

पिछले तैंतीस वर्षों में बड़े एवं मझले दर्जे के बांध बनाए गए हैं जिनकी संख्या 450 के लगभग है भारत में 2 करोड़ हैक्टेयर भूमि ऐसी है जो पानी के जमाव या उससे जुड़ी क्षार की समस्या की शिकार बनी है। खेतों में सिर्फ सिंचाई का इन्तजाम कर देना काफी नहीं है। यदि निकासी का इन्तजाम ठीक न किया गया तो पानी फसल को चौपट कर देती

[illegible] है। खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने की वजह से सिंचाई का पानी ठहर जाता है। ऊपर के पानी और भीतर के पानी के मिश्रण से कहीं-कहीं जमीन में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है और यह समस्या पंजाब एवं हरियाणा में अधिक है। उत्तर-प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश के सिंचित इलाकों में यह तीव्र गति से बढ़ रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) की तवा परियोजना है जो वर्ष 1956 में शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत नर्वदा की सहायक नदी तवा पर एक बांध बनाया गया। इस परियोजना पर 91.4 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा 6,00,000 एकड़ भूमि सिंचित करने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1976 में पहली बार यह पता चला कि बायीं तवा नहर से बड़े पैमाने पर जल रिस रहा है। वर्ष 1976 में किसानों ने मिलकर "मिट्टी बचाओ" संस्था का निर्माण किया। अधिकारिक तौर पर भी इस बात की पुष्टि की गई कि नहर का 60 प्रतिशत जल भूमि में रिस जाता है। सैकड़ों गांव दलदल में बदल गए। सिंचाई परियोजना के प्रारम्भ से ही गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, चने का उत्पादन गिरने लगा। इतना ही नहीं, जलाधिक्य के कारण मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ गया।

जल संरक्षण एवं भूमि संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसके कारण कभी अकाल आता है तो कभी बाढ़। बाढ़ के प्रमुख कारण भारी वर्षा, पहाड़ों के नंगे हो जाने से पानी का तेज बहाव और उसके कारण होने वाला भू-कटाव, भारी मात्रा में मिट्टी का नदियों में बहकर आना, नदियों के सतह का ऊंचा उठ जाना और फिर इसी वजह से नदी में पानी का न समाना और चारों तरफ फैल जाना है। बाढ़, सूखा, एवं भू-कटाव की सस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी तक इन तीनों को एक साथ रखकर हल करने की कोशिश नहीं की गई है। देश में उपलब्ध कुल भूमि एवं कुल जल (धरातलीय एवं भूमिगत) के कुशल प्रबन्ध के बिना हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते।

सामाजिक प्रदूषण

ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहां लोग ग्रुपों में रहते हैं तथा उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। यहां पर आवश्यक सुविधाएं पेय जल, गन्दे जल के लिए नालियों का निर्माण, रोगों पर नियंत्रण तथा अन्य सुविधाएं लोगों की सामूहिक आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत जीवन-स्तर तथा काफी हद तक सरकारी प्रयत्न पर निर्भर करता है। स्वच्छता की समस्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है। जीवन एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए वायु, जल, उचित मात्रा में भोजन, मकान, कपड़ा एवं रोगों से मुक्ति आवश्यक है। आज कुछ गांव ऐसे हैं जहां सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, तथा कुछ ऐसे हैं जहां मध्यम [illegible] लिए उपयोग करते हैं, जिससे वे बीमारियों का शिकार होते हैं। पास में ही कूड़ा-करकट, खाद पड़ा रहता है जिससे मक्खियां एवं अन्य हानिकारक कीटाणु पैदा होते हैं। लोग जिस मकान में रहते हैं, उसी में पशुओं को बांधते हैं जिससे सभी आस-पास का क्षेत्र गंदा हो जाता है। कपड़े भी गंदे पहनते हैं जिससे उसमें चीलर पड़ जाता है। बिस्तरों एवं चारपाई में खटमल तथा बालों में जूं पड़ जाते हैं। ये सब आसानी से दूर ही सकते हैं परन्तु लोग इसे नहीं करते हैं। बच्चों के कपड़े साफ-सुथरे न होने के कारण तथा घर का वातावरण गंदा होने के कारण वे बीमारियों के शिकार होते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में स्वच्छ पेय जल की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ मल-मूत्र इधर-उधर न फेंक कर रोगों पर नियंत्रण किया जाए। स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देते समय लोगों के रिवाज, स्वभाव, धर्म तथा सामाजिक तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कूड़ा-करकट गड्ढे खोद कर उसमें एकत्र किया जा सकता है, बाद में वहीं खाद के रूप में बदल जाएगा। मकानों का निर्माण उस क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। मकान प्रकाशयुक्त, हवादार एवं सीलन रहित होना चाहिए। पशुओं के रहने का स्थान अलग तथा अनाज का भण्डारण भी स्वच्छतापूर्ण होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मकानों की व्यवस्था न होना भी एक कारक है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में आते हैं जिनमें अधिकांश उससे भी बदतर जीवन-यापन करते हैं।

नीरी, नागपुर के द्वारा स्वच्छता के लिए सस्ते शौचालय, कुओं एवं घरेलू जल के विसंक्रमण (डिसइंफेक्सन) के लिए संस्थान द्वारा विकसित क्लोरीनीकरण पात्र, क्लोरीन एम्प्यूल (टिकियां) ग्रामीण जल प्रदाय (संभरण) के लिए मंद वालू निस्पंदन (फिल्ट्रेशन), पानी से मैंगजीन लोहा एवं क्लोराइड कम करने के लिए, औद्योगिक अपशिष्टों और वाहित मल उपचार के लिए सस्ती विधियों का विकास किया गया है। आवश्यकता इसके प्रचार एवं प्रसार की है।

शहरों की तरह गांवों में भी मिलावट की प्रणाली शुरू हो गई है। घी एवं दूध में तो मिलावट आम हो गई है। खाद्यान्नों, तेल, मसालों में मिलावट दूसरे स्थान पर है। मिलावट एक प्रकार का सामाजिक अपराध है।

आज खुशी इस बात की है कि सरकारी प्रयत्न के अलावा अनेक स्वैच्छिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रहीं हैं। दिल्ली में स्कूल के बच्चे एवं नागरिकों के "नेचर कल्ब" के माध्यम से दिल्ली के एक मात्र जंगल" रिज को कटने से बचाने के लिए

[शेष पृष्ठ 14 पर]

रतनलाल का भाग्योदय

र रतनलाल जो हर मुवह मजदूरी पर निकलते थे और मजदूरी न मिलने पर मांग कर दिन गुजारने के लिए लाचार थे, अब अच्छे खासे बैंड मास्टर बन गए हैं। उनकी शैली में उनकी बड़ी शोहरत है।

ग्रामीण विकास अभिकरण ने ऐसे अनेक व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल दिए हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

नट जाति के 32 वर्षीय रतनलाल के पिता के पास केवल 4 बीघा जमीन थी। साल भर में उन्हें बामुश्किल 4–5 क्विटल ज्वार की उपज मिल जाती थी। उनके भरेपूरे परिवार के लिए यह काफी न था। जीविका की तलाश में रतनलाल को पांच रुपए रोज पर एक बैंड पार्टी में काम मिल जाता था। नवाखेड़ा के एक प्रगतिशील किसान ने उसे ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से बैंक से क़र्ज़ और अनुदान दिलाया। इस राशि से रतनलाल ने बैंड पार्टी के लिए साज-सामान खरीदा। शादी-ब्याह और हंसी-खुशी के मौकों पर उसकी बैण्ड पार्टी की फरमाइश होने लगी जिससे उसकी आर्थिक हालत बदलने लगी है।

शादियों में बैण्ड बजाने से रतनलाल को लगभग 12,000 रुपए की सालाना आमदनी हो जाती है। बैण्ड पार्टी के उसके साथी कलाकारों को भी लगभग 6,000 रुपए की सालाना आमदनी हो जाती है। □

पेड़ लगाओ रे!

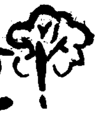

—श्याम बेबस

पेड़ लगाओ
पेड़ लगाओ,
पेड़ लगाओ रे !
पेड़ लगाकर
घर-घर में
खुशहाली लाओ रे !

पेड़ों से ईंधन मिलता,
मिलती शीतल छाया।
क्या बतलाए, पेड़ों से
हमने क्या-क्या पाया ;
इन्हें प्यार के जल से सींचो
ओ, दुलराओ रे।
पेड़ लगाओ रे!

हर दुःख हंसकर सहते लेकिन
कभी न रोते हैं।
जग सो जाता लेकिन भैया,
पेड़ न सोते हैं।
सांझ-सवेरे इन्हें प्यार के
गीत सुनाओ रे
पेड़ लगाओ रे !

2/23ए, रामघाट रोड,
अलीगढ़ (उ० प्र०)-202001

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या

(पृष्ठ 13 का शेषांश)

आवाज उठाई है। "कर्नाटक सर्वोदय मण्डल" नदी में बढ़ रहे प्रदूषण की तरफ "कर्नाटक जल प्रदूषण मण्डल" का ध्यान खींचा है। होशंगाबाद के किसान सिंचाई से रिसने वाले पानी, और जल ठहराव की समस्याओं को लेकर" मिट्टी बचाओ" अभियान चला रहे हैं। इन्दौर शहर में "इको सोसाइटी" शहर में पेड़ों की गिनती तथा मरे हुए पेड़ों को लगवाने की तरफ नगर पालिका का ध्यान खींचती है। बरहानपुर (म० प्र०) में ताप्ती नदी के प्रदूषण से रोकने के लिए "ताप्ती बचाओ सम्मेलन" आयोजित किया है। वम्बई में सिविल ट्रस्ट "सोसाइटी फार क्लीन एन्वायरन्मेंट", "फ्रेन्डस आफ दि ट्रीज" वाराणसी में गंगा प्रदूषण रोकने के लिए संस्था, इलाहाबाद में "पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र" नई दिल्ली में "गांधी शान्ति प्रतिष्ठान" वृन्दावन में "वृन्दावन स्वरूपोत्थान परिभावना" के प्रयत्न सराहनीय है। □

सचिव, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र
इलाहाबाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

—मासिक सार

हरियाणा, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की बैठक वार्षिक कार्यवाही योजनाओं के अनुमोदन हेतु क्रमशः 23, 24, 28 जून और और 4 से 6 जुलाई 1983 को हुई थी। इन बैठकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभारी जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए 28 से 30 जून 1983 तक विज्ञान भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। विभिन्न राज्यों तथा वित्तीय संस्थाओं के 46 अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया था।

समीक्षाधीन अवधि (जून-जुलाई) में राजस्थान, केरल तथा उत्तर प्रदेश को सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 1520.00 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई। 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 3044.00 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन माह में कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/किन्द्र शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष 1983-84 की प्रथम तथा द्वितीय तिमाहियों के लिए 490.29 लाख रुपये की धनराशि तथा 16,526 टन खाद्यान्नों की मात्रा वंटित की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/किन्द्र शासित क्षेत्र	वंटित नकद निधियां (लाख रुपये)	वंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)
1	2	3
1. गुजरात	282.50	—
2. जम्मू तथा कश्मीर	—	900
3. पंजाब	151.25	—
4. तमिलनाडु	—	15,429
5. त्रिपुरा	36.30	—
6. गोवा, दमण तथा दीव	20.24	183
7. लक्षद्वीप	—	14
	490.29	16,526

इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/किन्द्र शासित क्षेत्रों को अब तक 1280.29 लाख रुपये की धनराशि तथा 27,822 टन खाद्यान्नों की मात्रा वंटित की गई है।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान "ट्राइसेम" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 3.04 लाख रुपये की धनराशि (केन्द्रीय अंश) वंटित की गई है।

कृषि विपणन

समीक्षाधीन माह के दौरान बाजारों के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 17 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान अभी तक 70.00 लाख रुपये की धनराशि वंटित की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

श्री मोहिन्द्र सिंह सचिव (ग्रामीण विकास) को एशिया तथा प्रशांतीय क्षेत्र के लिए समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र के मुख्यालय के स्थाई स्थान के प्रश्न पर विचार करने हेतु कोमिल्ला (बंगलादेश) में 5-9 जून 1983 को हुई एशिया तथा प्रशांतीय क्षेत्र के लिए समन्वित ग्रामीण विकास केन्द्र की कार्यकारी समिति की उप-समिति की बैठक में भाग लेने हेतु भेजा गया था।

खाद्य तथा कृषि संगठन के लघु कृषक विपणन सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय समन्वयकर्ताओं की 15 से 17 जून 1983 तक बैंकाक में हुई आयोजना तथा परामर्शदायी बैठक में भाग लेने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से श्री जी० एस० शुक्ल कृषि विपणन सलाहकार को भेजा गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री ए० आर० बन्दोपाध्याय को 27 जून से लेकर 15 जुलाई 1983 तक बर्लिन (पश्चिम) तथा म्यूनिख में जर्मन फाउन्डेशन आफ इन्टर-नेशनल डेवलेपमेन्ट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबन्ध की पद्धतियों तथा तकनीकों के बारे में आयोजित की गई गोष्ठी में भाग लेने हेतु नामित किया गया था। □

संचार और ग्रामीण विकास

—के० डी० कोकाटे और वी० के० दूबे
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, संस्थान करनाल
(हरियाणा)

अनुमान किया जाता है कि विश्व के सबसे निर्धन लोगों की कुल जनसंख्या का तीन-चौथाई विकासशील देशों में है। विकासशील देशों की निर्धनतम जनसंख्या की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। विकासशील देशों में करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी तथा अभाव की ऐसी स्थिति में जकड़े हुए हैं जिसका वर्णन आंकड़ों द्वारा नहीं किया जा सकता।

विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री रौबर्ट मैकनामारा ने बैंक की बठक के कुछ कठोर तथ्यों को सामने रखते हुए कहा था :–

"स्पष्टतः निर्धन लोगों का बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में है। हमारे सभी विश्लेषणों से यह पता चलता है कि भविष्य के दो या तीन दशक तक यह स्थिति कायम रहेगी। वर्ष 2000 ई० में विकासशील देशों की जनसंख्या के आधे से भी अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धनता

की समस्या मुख्यत: लाखों छोटे कम आय वाले किसानों की निम्न उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण विकासशील जगत में छोटे कृषकों को तीव्र प्रगति के बिना, दीर्घकालीन सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि (विकास) अथवा पूर्णनिर्धनता के स्तर में विशेष कमी हासिल करने की उम्मीद कम है। सच बात तो यह है कि पिछले दो दशक सें छोटी जोतों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं।"

विकास केवल एक मशीनी अथवा तकनीकी परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि सर्व प्रथम यह एक मानव-प्रक्रिया है। विकास का अर्थ बहुत विशाल भौतिक-संरचनाओं का निर्माण, बहुत ही जटिल मशीनों का लगाना या नवीनतम और बहुत ही अच्छी तकनीकों का प्रयोग ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्लेषण में यह मानव समूह का विकास है। वास्तव में संरचनाएं, मशीनें और तकनीकें किसी प्रयोजन की नहीं होंगी, यदि मानव-समाज अल्प विकसित हो और इसी वजह से विकास के लिए इनका उपयोग करने में असमर्थ हो।

क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, के बीच सूचनाओं की बहुत कमी है। असमानता आवश्यक रूप से विकास कार्यक्रमों की दोषी संचार व्यवस्था के कारण होती है। बेरिंगन फ्रांसिस के अनुसार "विचारों" सूचनाओं और सेवाओं से अलग रहना विकासशील देशों की विशेषता बन गई है। जन संचार पर विशेष जोर वहां दिया जाता है जहां संचार व्यवस्था सीधी है, सूचना प्राप्ति सीमित है, कार्यक्रम का विषय केन्द्र द्वारा निश्चित किया जाता है और विचारों और आवश्यकताओं के आदान-प्रदान के बजाय अधिक जोर केवल कार्यक्रमों के वर्णन पर दिया जाता है।"

विश्व में बहुत से अध्ययन उपलब्ध हैं (रोजर्स और अधिकारी, 1978), जो वर्तमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में संचार के कुप्रभाव को प्रमाणित करते हैं। भविष्य पर सोचते समय इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा नियंत्रित संचार माध्यम, उदाहरण के लिए रेडियो और टेलिविजन आवश्यक रुप से कमाण्ड-निबद्ध अनुगामी और एक दिशा वाले हैं। इस प्रणाली का समुचित सुधार निश्चित रुप से आवश्यक है। फिर भी परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अन्य विकल्प की खोज की भी जरूरत है।

बशीरूद्दीन (1979) ने सही ढ़ंग से एक प्रभावकारी संचार ढांचे की आवश्यकता का निम्न संक्षिप्तीकरण किया है :–

"विकास संचारण का अर्थ लोगों को यह बताना नहीं है कि सरकार क्या कर रही है बल्कि इसका उद्देश्य अन्य उन्नतशील मानव-समूहों के कार्यों की जानकारी को लोगों के साथ नितरित करना है।"

उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि उपयुक्त ढांचे में निम्नलिखित बातें होनी चाहिऐ :—

(क) लोगों को संचार माध्यम तक पहुंचने की गुंजाइश,

(ख) लोगों को संचारण का अधिकार जो छोटे समूहों का उनके समाज में उचित वातावरण बनाने की दिशा में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करेगा। संचार अनुसंधानों से पता चलता है कि स्थानीय संदर्भ में विकास विकेन्द्रीकृत प्रणाली में होता है यदि अपने जीवन और वातावरण पर नियंत्रण के लिए जनता के सार्थक रूप से भाग लेने की गुंजाइश होती है।

आधुनिक काल और स्थिति के संदर्भ में बशीरूद्दीन के विचार निस्संदेह पूर्ण रूप से समुचित हैं, परन्तु उन्होंने इस प्रसंग को खुला ही छोड़ दिया है क्योंकि उनके विवादों से कोई सुझाव नहीं मिलता।

भारत के विकास के इतिहास से स्पष्ट रुप से यह पता चलता है कि संचार व्यवस्था, जिसकी वजह से गरीब लोग सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, की असफलता ही सबसे अधिक असफलता है।

"जनता···आधारित दुतरफा संचारण का अर्थ केवल बहुसांख्यिक बुद्धिजीवी ही नहीं है बल्कि गरीबों के विभिन्न सतह और प्रभाव आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और अपना संदेश प्रभाविक रूप से समाज के ऊपरी वर्गों को भेजते हैं। यह एक प्रकार का संचारण है······. गणतांत्रिक, लोकप्रिय कार्यवाही का एक संयन्त्र, जिसका विकास गांधी अपने नेतृत्व में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान करने में सफल हुए" (सिंह और ग्रौस, 1979)।

सिंह और ग्रौस (1979) और बशीरुद्दीन के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि जनता का सक्रिय सम्मिलन, जो इस प्रणाली की खोई हुई कड़ी है, बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है। हमारे तथा विकास शिक्षण तकनीक केन्द्र (वि० शि० त० के०) और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (भा० अ० अ० सं०) के अल्पकालीन सम्बन्धों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसी देश की गरीब से गरीब, बहुत ही दलित और निम्न श्रेणी की जनता, जिसमें पूर्णतया अशिक्षित लोग भी शामिल हैं के पास भी बहुत तरह का ज्ञान समझने की शक्ति और बुद्धि है जिनसे बहुत शिक्षित लोग भी सीख सकते हैं और अवश्य ही सीखना चाहिए (सिंह इत्यादि, 1879)। इस प्रकार सारांश यह निकलता है कि भविष्य के संचार माध्यम का आधार, जन समूह का, जन समूह के लिए, जन समूह के द्वारा, होना चाहिए केवल इस संदर्भ में भविष्य के संचार माध्यम पर विचार करना चाहिए।

संचार माध्यम की उपयोगिता समझने के लिए यह उचित होगा कि इसका अध्ययन हमारे और किसी अन्य देश के विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में किया जाए। अत: एक विस्तृत जानकारी हेतु, भविष्य में संभावित संचार माध्यम और उसके उपयोग के ढंग को प्रकाशित करने के लिए एक पुनरावलोकन किया जा रहा है।

दूरदर्शन (वीडियो) का अनुभव :

हाल ही में, छोटे नाप वाले वीडियो टेप के प्रयोग द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर कार्यक्रमों के निर्माण में विकासशील देशों में अनौपचारिक शिक्षा के शिक्षकों में काफी रुचि दिखाई है । श्रवण दर्शन शिक्षा के विकास के लिए वीडियो टेप एक आदर्श माध्यम समझा जाता है । श्रवण दर्शन दिशा निर्माण, दृष्टिकोण परिवर्तन, शक्ति पुनर्गठन, समाज द्वारा भाग लेने और मनोरंजन के लिए एक अच्छा प्रयास है ।

जैक और पीटर ने वर्ष 1971 और 1972 में तंजानिया वर्ष 16 (टी० वाई० 16) प्रयोग का वर्णन और विश्लेषण किया है । प्रयोग इस कथन पर आधारित था, फिल्म निर्माताओं का एक काम उत्पाद नहीं बल्कि एक प्रणाली को जन्म देना है और उत्पाद प्रणाली का केवल एक परिणाम है । संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वो इस तरह के कार्य को स्वीकार करें और स्वेच्छा से करें । श्रवण दर्शन का निर्माण इस विश्वास पर आधारित था कि संचार सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, कि ग्रामीण आबादी के पास इस प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ज्ञान प्रसारित करने के लिए है, और वीडियो इसके लिए एक उपयक्त यन्त्र है ।

लारेन के अनुसार, ग्रामीण विकास में वीडियो का एक प्रणाली और एक उत्पाद दोनों की तरह उपयोग किया जाता है। इसकी उपयोगिता एक प्रणाली की तरह फोगो द्वीप प्रयोग, तंजानियां वर्ष 16 प्रायोजना और सहारनपुर प्रयोग में दर्शाई गई है। फोगो द्वीप प्रयोग में वीडियो द्वारा राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं पर विवाद, उनका विश्लेषण तथा उनके विषय में की गई कार्यवाही का प्रदर्शन किया गया। सहारनपुर प्रयोग में वीडियो का उपयोग समस्याओं का निदान और समाज के विभिन्न प्रभागों के बीच संचार मार्ग खोलने के लिए किया गया। चिली में वीडियो का उपयोग हजारों प्रचारकों को, जो चपरासी की नौकरी छोड़कर कृषक सहकारी समितियों के सदस्य बन गये थे, शिक्षित करने के लिए किया गया। थाईलैंड में इसका उपयोग राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में किया गया था, जहां इसकी उपयोगिता विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुई।

बैनर्जी (1976) ने कनाडा (फोगा द्वीप), तंजानियां (तंजानिया वर्ष 16) और आस्ट्रेलिया की वीडियो प्रायोजनाओं का जिक्र किया है, जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया गया है। लेविस (1977) ने वीडियो का प्रयोग एक संचार यंत्र की तरह विभिन्न प्रायोजनाओं में किया है।

अनेक कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने इस यंत्र का प्रयोग किया है, बताया है कि एक संचार यंत्र की तरह वीडियो से बहुत से लाभ हैं। लारेन ने बताया है कि फिल्म की तुलना में वीडियो के लाभों में इसकी अविलम्ब पुनरावृत्ति, एक ही समय में ध्वनि एवं दर्शन का मिलाप, कम प्रकाश में अभिलेखन, टेपों का दुबारा इस्तेमाल, कम उत्पादन-खर्च, ले जाने की सुविधा, टेपों का सुविधाजनक भण्डारण और निष्कासन और बंद-चक्र वाली दूरदर्शन की परिस्थितियों में इसका उपयोग, इत्यादि निहित है। केवल वीडियो द्वारा ही अविलम्ब प्रत्युत्तर, विश्लेषण प्राप्त होता है। इसका प्रयोग ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो सुविकसित संचार माध्यम तकनीक से परिचित नहीं हैं।

भारतीय अनुभव :

भारत में संचार माध्यम के लिए वीडियो का प्रयोग बहुत विस्तृत नहीं है। ग्रामीण समाज के संदर्भ में वीडियो के प्रयोग के केवल दो उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में वि० शि० त० कें० के प्रयासों द्वारा इस माध्यम की उपयोगिता स्पष्ट है। सहारनपुर प्रयोग के नाम से जानी जाने वाली इस प्रायोजना द्वारा संचारण प्रणाली के मानीवकरण में वीडियो के प्रयोग की सम्भावनाओं का विविध चित्रण किया गया है। विकासशील देशों के पूर्व पुनरावलोकित अनुभव द्वारा इस बात की पुष्टि होती है।

दूसरा प्रयोग भा० अं० अं० सं० अहमदाबाद में है, जहां वीडियो का उपयोग आवश्यक रूप में एक संचार यंत्र की तरह नहीं बल्कि एक सीमित रूप में किया जा रहा है । रेडियो मंच से संबंधित भारतीय अनुभव, विद्यालय की शिक्षा और कृषि में दूरदर्शन का उपयोग बहुत अधिक सफल साबित नहीं हुए हैं। इसका कारण अकाल्पनिक कार्यक्रम नियोजन और निम्न श्रेणी की अनुगामी सुविधाएं हैं । अंतरिक्ष शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग (एस० आई० टी० ई०) से यह ज्ञात हुआ कि पशुपालन की तुलना में कृषि-सजगता में प्राप्ति कम है। इन सभी परिस्थितियों में सूचना का पूर्व-निर्धारण नियोजकों के निर्णय के आधार पर किया गया और पूर्व सूचना बहुत ही कम थी। दूसरे शब्दों में, यह केवल सूचना का जनता के एक समूह से दूसरे समूह में हस्तांतरण है, जबकि मौलिक कल्पना यह थी कि प्राप्तकर्ता वही करेंगे जैसी उन्हें सलाह दी जाएगी। यह स्वीकारकर्ता में तर्कसंगत तार्किक प्रणाली और तत्पश्चात् सोचने की क्षमता को उपत्न्न करने में असफल रहा।

उपर्युक्त विचारों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हैं। एक या अन्य विधि के उपयोग को इन प्रयासों की सफलता का द्योतक समझा जाता है जो कि पूर्ण प्रणाली का एक नगण्य पहलू है। यह संचार माध्यम के जनतन्त्रीकरण के मौलिक प्रश्न को, सामाजिक सक्रियता और सामाजिक कार्यों के स्वीकृतिकरण को दर्शाता है। इस प्रश्न का एक ही संभव उत्तर एक ऐसे संचार माध्यम के इस्तेमाल में है, जो आसानी से उपलब्ध हो, प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों के द्वारा संभाव रूप से नियंत्रण के योग्य हो और जो समाज में प्रेमभाव के एक स्रोत की भांति प्रयोग किया जा सके। इन ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर कुछ सीमा तक आधुनिक संचार तकनीक, जैसे वीडियो टेप अभिलेखन (वी० टी० आर०) आदि के इस्तेमाल और प्रयोग में पाया जा सकता है।

तर्पणा प्रायोजना : दुबे और अन्य (1980) के अनुसार तर्पणा प्रायोजना पर न्यू फाउण्डलैण्ड कनाडा के मेमोरियल

[illegible] है। तर्पणा ग्राम में एक मिश्रित और घनी आबादी का समाज है। यह करनाल शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा प्रारूप भारतीय ग्राम है, जहां विभिन्न जातियों और आर्थिक समूहों के कुल 208 परिवार रहते हैं। इस प्रायोजना का मौलिक उद्देश्य इस ग्राम के लोगों का रोजगार के अनेक अवसरों से परिचय कराना है। इसके साथ-साथ, लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना और सामुहिक क्रियाओं को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है।

तर्पणा प्रायोजना का आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है :—

"वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए किसी भी ऐसे नवीन प्रयास की आवश्यकता है जिससे संचार की कमी को पूरा किया जा सके। वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य के लिए स्वयं को अपनी शक्ति और अपने साधनों का पता लगाने और उनका अनुमान करने के लिए रचनात्मक शक्ति उत्पन्न करने और वृद्धि के लिए कार्यवाही आरम्भ करने के लिए मनोयोग की आवश्यकता है" (दूबे इत्यादि, 1981) अत: प्रायोजना का सिद्धांत उसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति जागरूक तथा उनसे समझौता करने के योग्य बनाकर मनुष्य की रूढ़िवादी कष्टों से मुक्त कराना है ताकि वह वृद्धि कर सके और अपने बल पर चल सके। उसकी उपलब्धियों अथवा परिवर्तनों से संबंधित अपने लक्ष्य स्वयं ही निर्धारित करना चाहिए।

सिद्धांत :—जब हम किसी परिवर्तन का कार्यक्रम आरम्भ करते हैं, साधारणतया हम कुछ कल्पनाएं करते हैं। इसी प्रकार, कार्यक्रमों में निम्नलिखित कल्पनाएं हैं :—

(क) निर्धनता एक अनोखी संस्कृति है जिसे उन सभी लोगों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है जो जनता के बीच काम करने जाते हैं। इस संस्कृति के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं :—

(i) जो लोग गरीब हैं, वे सभी बाहरी लोगों पर विश्वास नहीं करते। [illegible] होते हैं और साधारणतः सभी सदैव उम्मीद करते हैं।

(iii) आत्मविश्वास न होने और सरकारी संस्थाओं के प्रति भय और शंका होने के कारण, वे अपने ही कल्याण के विषय में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते।

(iv) वे अन्य सामाजिक वर्गों के साथ अपने संबंधों में बातचीत करने में हिचकिचाते हैं और उन्हें ही अपने स्थायी संबंध के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

(v) वे स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ने में और खतरा उठाने में हिचकिचाते हैं।

(vi) वे चाहते हैं कि कोई अन्य उनके विषय में सोचे और उनके लिए कार्य भी करे।

(vii) उनके जीवन की आकांक्षाएं, लक्ष्य सीमित हैं उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता।

(viii) वे हमेशा अपने शोषकों के ही साथ रहते हैं।

(ix) उनका विश्वास प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है।

(ख) मनुष्य को मानव में विश्वास होना चाहिए और उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह अपनी परिस्थितियों में रहते हुए सही निर्णय ले सकता है।

(ग) मानव का विकास कतिपय चरणों में संभव है।

(घ) किसी भी व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर भाग लेने के लिए पेट, दिल और दिमाग के जरिये चलने की आवश्यकता है और इसमें समय लग सकता है।

(ङ) विश्वास उत्पन्न करने के लिए छोटे और सफल प्रयासों की आवश्यकता है।

(च) शताब्दियों से आदमी को अपनाने, अनुसरण करने और आज्ञा पालन [illegible] उत्साह दिलाने की आवश्यकता है, ताकि वे आगे बढ़ सकें।

प्रायोजना की रचना :

1. सामाजिक वास्तविकीकरण का आरम्भ :

सामाजिक वास्तविकीकरण, विकास के संदर्भ में, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपनी समस्याओं का और उनके कारणों का पता लगाता है और उनके हल निकालने के उपायों की छानबीन करता है। सामाजिक वास्तविकीकरण आरम्भ करने के लिए लोगों से अकेले और समूह में सम्पर्क किया जाता है। आए दिन की कठिनाइयों के विषय पर विवाद शृंखला का आयोजन किया जाता है। किसी विशेष समस्या पर कुछ चुने हुए सामाजिक वास्तविककर्ताओं का वीडियो टेप पर अभिलेखन किया जाता है। इस अभिलेखन को पहले वास्तविककर्ता और उसके समूह को दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि वास्तविककर्ता अपने विचारों का विश्लेषण कर सकें और इच्छाएं बदल सकें। इस प्रकार, तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवाद आरम्भ करवाने वाले सामाजिक समूह/प्राधिकरण को प्रदान करने के लिए अंतिम विचार तयार होता है।

2. संचार माध्यम में लोगों का भाग लेना :

संचार माध्यम का उपयोग ऊपर से नीचे तक की वर्तमान संचारण प्रणाली के बिल्कुल विपरीत नीचे से ऊपर की ओर है। दूसरे शब्दों में, संदेश समाज के स्तर पर उत्पन्न होता है और संदेश के सभी अंगों, यथा—क्या, कैसे, किसको और क्यों, आदि पर जनता का पूरा नियंत्रण होता है। इस प्रकार संचार माध्यम की सभी मौलिक आवश्यकताएं—"जनसमूह का, जनसमूह के लिए, और जनसमूह द्वारा", पूरी हो जाती है।

3. श्रम-आधारित तकनीकों से परिचय :

आवश्यकता से अधिक जनशक्ति ग्रामीण भारत में वृद्धि के लिए उपलब्ध एक

बहुत बड़ी राशि है जिसका उपयोग अभी तक कम मात्रा में किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि श्रम-आधारित समुचित तकनीकों का भण्डार बनाया जाए, ताकि समाज अपनी सामयिक वास्तविकताओं के अनुसार उचित तकनीकों का चयन कर सके।

4. सामाजिक साधनों का अधिकतम उपयोग :

जब जनता अपने मनपसंद की तकनीक चुनती है, तब उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग होता है।

5. आत्मनिर्भर सहकारी क्रियाओं का उद्भव :

सामाजिक वास्तविकीकरण और संचार माध्यम से मानवीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज में और समाजों के बीच सहकारी क्रियाओं का जन्म होता है, जो आत्मनिर्भर हो सकता है।

जनता का लगाव :

अभी तक विकास के लिए समाज का चुनाव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उसकी शक्ति और तत्परता के आधार पर किया जाता है। योजना विशेषज्ञों की दृष्टि में यह विकास का एक आसान तरीका है और यह समझा जाता है कि ऐसे गांव परिवर्तन प्रक्रिया के आदर्श बन सकते हैं। परन्तु इसका कोई असर नहीं हो सका, क्योंकि गरीब, पिछड़े हुए और साधन रहित समाज के वर्ग अपने को सम्पन्न वर्गों से अलग समझते ह। इस प्रकार, चुने गए सामाजिक वर्ग में साधन रहित और गरीब जनता का बाहुल्य होना चाहिए। ऐसी चुनौती वाले वर्ग का विकास पास-पड़ौस के सामाजिक वर्गों में विश्वास उत्पन्न करेगा और समाज की बढ़ोत्तरी के लिए एक केन्द्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है।

समाज की समस्याओं, उनके कारण और समाधान की विस्तृत जानकारी के लिए समाज का एक संक्षिप्त सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहिए।

समाज के चयन के संदर्भ में सभी कार्यकारी और संबंधित संस्थाओं का, उनके कार्यक्रम सहित, पता लगाना चाहिए।

समाज सुधारक को चाहिए कि वे समाज के लोगों से अपने को अलग रखते हुए, लोगों से बिना कोई वादा किए सामाजिक वर्ग की समस्याओं, मूल्यों और रीति-रिवाजों के बारे में बिना किसी नजदीकी संबंध या जानकारी के, समाज के सुधार के लिए लगातार लोगों से मिलता रहे। इस स्तर पर समाज सुधारक का कार्य यह है कि वह लोगों को समझाए कि विकास एक स्वयं-वृद्धि की एक प्रक्रिया है जिसमें जनता भाग लेती है और अपने स्तर पर योगदान करती है। उसे सामाजिक वर्ग के विचारों को निजी और अपने समाज के विकास के लिए आवश्यक स्वयं-योगदान के पक्ष में, बनाना और इकट्ठा करना चाहिए।

समाज सुधारक को चाहिए कि वह अपनी सामाजिक प्रतिक्रिया के जरिए ऐसी समस्याओं का पता लगाए, जो उपलब्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आसानी से हल की जा सके।

इसके साथ ही, समाज सुधारक को चाहिए कि वह समाज में सामूहिक विवाद के जरिये सामाजिक समस्याओं पर सर्वसम्मति प्राप्त करे। सर्वसम्मति से मंजूर की गई ऐसी समस्याओं को वी० टी० आर० में सामाजिक वास्तविकताओं के जरिये अभिलिखित किया जा सकता है। और इसे संबंधित संस्था को दिया जा सकता है। प्रायः उन संचार संस्थाओं को दिया जाता है जो या तो समस्याओं को हल करती हैं या उन पर आगे विचार करती हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक समस्या का हल नहीं मिल जाता है।

दूसरी तरह की कुछ ऐसी समस्यायें हो सकती हैं जिनके विषय में सामाजिक सर्वसम्मति के लिए अंतर्सामूहिक संचार की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, अंतर्सामूहिक संचार से संचार रिक्तियां दूर होती हैं और सामाजिक-आर्थिक दूरियां कम होती हैं।

तीसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहां उत्तर तकनीकी होता है। जैसे- दुग्ध विज्ञान, खेती, इत्यादि जिसके लिए एक काल-बद्ध पाठ-श्रृंखला' की योजना की आवश्यकता होती है। ऐसे पाठों की रचना पड़ौस के अनभवी किसानों के आधार पर करनी चाहिए। हालांकि इसके लिए संस्थागत अनुभव के इस्तेमाल पर रोक नहीं है, परन्तु ऐसे अनुभव का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक तकनीक का स्तर प्राच्य-प्रणाली के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बना है।

निष्कर्ष :

भविष्य में संचार तकनीक की तरह वी० टी० आर० का उपयोग बहुत ही उज्ज्वल है। परन्तु, सभी अन्य यंत्रों की तरह, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को यह नहीं दिया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए कुछ समझदारी और योग्यता की आवश्यकता है। सरकार ने अधिकांश दूरदर्शन केन्द्रों को सामाजिक दूरदर्शन संयंत्र देने की नीति बनाई है। इन दूरदर्शन संयंत्रों में से थोड़ा सा सुधार करके इनको वी० टी० आर० के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसलिए पर्दे के लिए आवश्यक अतिरिक्त खर्च किया जा सकता है। आरम्भिक काल में गांवों के इन समूहों के लिए सामाजिक शिक्षा की एक प्रणाली बनाई जा सकती है। बाद में कालान्तर के साथ इसका विस्तार किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि नई तकनीक के अधिक विस्तरण का समय समाप्त हो गया है। वर्तमान मानव को निर्णय लेने के लिए ज्यादा सही और सामयिक सूचना की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ाने के लिये बहुत से साधनों के प्रयोग की आवश्यकता है। इसलिए, सामाजिक वर्गों को समान स्तर पर सही सूत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है।□

अनु०
राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
डी०–1/158, सत्य मार्ग,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021

देहात के अंचल से

लकड़ी के कलात्मक स्टैंड बनाने वाला खाबरी अव्वल गांव
—कारीगरों की समस्याएं—

—दया प्रकाश शर्मा

मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग पर बिल्लारी तहसील स्थित है। यह तहसील मुरादाबाद शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बसी है।

इस तहसील में खाबरी अव्वल ग्राम, तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खाबरी अव्वल ग्राम की आबादी लगभग 4000 है आबादी में मुस्लिम एवं हिंदू दोनों हैं। ग्राम की मुस्लिम आबादी के लगभग 60/70 परिवार लकड़ी के स्टैन्ड बनाने का धन्धा विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं।

अत्याधिक समय से इस कार्य में संलग्न व्यक्ति बहुत दक्ष हैं। परिवार में सात से आठ वर्ष का बच्चा भी लकड़ी के स्टैन्ड बड़े खूबसूरत ढंग से तथा चपलता के साथ बनाता है। उक्त परिवारों में परिवार के सभी सदस्य इस धन्धे में कार्यरत हैं।

यह धन्धा शीशम की लकड़ी पर आधारित है जो प्रायः मुरादाबाद के एजेंटों से इन कारीगरों को प्राप्त होती हैं। कभी-कभी कारीगर स्वयं लकड़ी का प्रबन्ध कर लेते हैं। शीशम की लकड़ी के एक ही टुकड़े से स्टैन्ड की तैयारी का कार्य, चलता है। इस कार्य में रेती, आरी, चौरसिया एवं बसौला आदि सहायक यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। पालिश हो जाने के बाद ये स्टैन्ड बहुत ही सुन्दर लगते हैं। बहादुर सेन, जो इस धन्धे में लगे सबसे अधिक उम्र का कारीगर है, ने बताया कि एक स्टैन्ड को बनाने के लिए औसतन रूप से 25 से 30 मिनट का समय लगता है। स्टैन्ड 4" से 40" के साइज में तैयार किए जाते हैं। साईज का बनाना एजेंट द्वारा कारीगर को दिए गए आर्डर पर निर्भर है। औसतन एक स्टैन्ड से 1.50 रुपये से 2.50 रु० तक की मजदूरी एक कारीगर को प्राप्त होती है यदि सम्पूर्ण दिन का सही प्रयोग किया जाए तो एक कारीगर 7 से 8 स्टैन्ड तैयार कर देता है।

इस ग्राम में लकड़ी के स्टैन्ड बनाने का कार्य श्री अली बक्श ने प्रारम्भ किया था। वह आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हरथला कस्बे में श्री सईद नाम के व्यक्ति के कारखाने में यह कार्य करते थे। कार्य में दक्षता प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने परिवारजनों को कार्य सिखाया और धीरे-धीरे बाद में अधिक संख्या में मुस्लिम परिवारों में यह कार्य होने लगा।

लकड़ी के ये स्टैन्ड उत्तम कला, कार्य कुशलता तथा दक्षता के परिचायक हैं। एजेंटों के माध्यम से ये स्टैन्ड अमेरिका, इंगलैंड एवं पश्चिम एशिया के देशों को निर्यात होते हैं। जहां यह अमीर घरानों के ड्राइंग रूमों की सुन्दरता में चार चांद लगाते हैं।

विगत 20 वर्षों से चलने के बावजूद भी यह धन्धा अभी भी पुराने तरीकों/यन्त्रों की मदद से चला आ रहा है। इसमें कोई नवीनता नहीं आई है। प्राचीन कार्य-प्रणाली के कारण इन कारीगरों को नए समय में मूल्य के बढ़ाने के कारण अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे परिवार का भरण-पोषण भी मुश्किल हो गया है।

कारीगरों ने धन्धे को उन्नत करने के लिए प्रथमा बैंक बिल्लारी (मुरादाबाद) के प्रबन्धक को लगभग 6 माह पूर्व वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र दिए थे। ग्राम के ग्राम प्रधान श्री रजा खां ने भी इस सम्बन्ध में लेखक को ग्राम सघन प्रचार अभियान के दौरान कहा है कि सरकार तथा सम्बधित विभागों से कारीगरों को अविलम्ब वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए और यदि इस धन्धे में लगे कारीगरों को सहकारी समिति के रूप में गठन कर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार अथवा खांड विकास द्वारा मदद मिले तब वास्तव में यह धन्धा उन्नत हो सकता है और कारीगरों की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर कर खुशहाली ला सकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जब तक समिति का गठन हो तब तक बैंक को कारीगरों को वित्तीय सहायता जुटाने में मदद करनी चाहिए। □

स्वच्छ पेयजल दशक (1981-1990) और ग्रामीण जल आपूर्ति

शुकदेव प्रसाद

जल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। पर यह भी कसी विडम्बना है कि खारा जल तो समुद्रों में भरा पड़ा है, और पीने योग्य मीठा जल अत्यल्प है। दुनिया भर में रहने वाले साढ़े चार अरब लोगों में से 12 करोड़ लोगों के लिए मीठा जल दुर्लभ है। कितने लोग ऐसे है जिन्हें पीने का पानी मीलों दूर से लाने में 5–7 घंटे लगते हैं पर वह जल हलक से नीचे उतारने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। नहाना और कपड़े धो पाना तो नितान्त मुश्किल। दुनिया भर के लगभग 1 अरब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और लगभग 2 अरब लोगों के लिए मल निपटान की व्यवस्था नहीं। 'अन्तर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981–90)' का उद्देश्य है कि सन् 1990 तक दुनिया के हर नागरिक को पीने का साफ पानी मिले और सफाई की व्यवस्था की जाए और इसके लिए अगले 10 वर्षों में प्रत्येक दिन 5 लाख लोगों के लिए जल-आपूर्ति के नए साधनों और सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

यह सच है कि धरती पर का तिहाई जल है पर पीने के लिए मीठे जल का अभाव है। समुद्रों में भरा पानी खारा है। मीठा जल अत्यल्प है। खारा पानी सारे जल का 97.4 प्रतिशत है, 1.8 प्रतिशत ध्रुवों की बर्फ के रूप में विद्यमान है और दैनिक जीवन की विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए आवश्यक ताजा जल की मात्रा .8 प्रतिशत है और प्रदूषण की मार से वह भी अछूता नहीं। प्रदूषण और ऊर्जा संकट जैसे भीषण संकटों के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा आने वाला संकट है—पीने के लिए मीठे जल की कमी। यों इस शती के अन्त तक, जबकि विश्व जनसंख्या लगभग 700 करोड़ हो जाएगी, तब जल की आवश्यकता आज की तीन गुनी हो जाएगी तब निश्चय ही दुनिया भर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

आने वाली इन्हीं विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्च 1977 में आर्जेन्टाइना में संयुक्त राष्ट्र ने "अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन" आयोजित किया था जिस का उद्देश्य शुद्ध जल आपूर्ति एवं जल साध्य पर्यावरण, स्वच्छता की जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि 1981–90 के वर्षों की अवधि को 'जलदशक' के रूप में मनाया जाए।

शुद्ध जल की समस्या

कभी-कभी प्राकृतिक विपदाओं के (अर्थात् सूखे की स्थिति) जल संकट उत्पन्न हो जाता है। अपने देश में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मीलों से पानी लाना पड़ता है। 1971–72 तक भारत के लगभग 5,76,000 गांवों में से केवल 24,000 गांवों को ही सुरक्षित जल की सुविधा प्राप्त थी अर्थात् प्रति 24 गांव पर लगभग 1 गांव। यह कितनी दुःखद स्थिति है इसका सहज अनुमान हम आप लगा सकते हैं। प्यास से तड़पते लोग फिर क्यों न पोखरों-तालों का गंदा पानी हलक से नीचे उतार लेने को विवश हों ?

तालाबों, पोखरों, नदी, नालों के खुले जल में वायरस रहते हैं जो बीमारियां फलाते हैं। सभी प्राकृतिक जलाशयों को वायरस दूषित करते हैं। संक्रमित मानवों द्वारा 100 प्रकार के वायरस उत्सर्जित होते हैं। इन आन्त्र वायरसों (एन्टेरिक-वायरस) द्वारा प्रदूषित जल को बिना उपचारित किए पानी से नए स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो उठते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक संक्रमित व्यक्ति के एक ग्राम मल में लगभग दस लाख वायरस होते हैं। गांवों में पानी को उबाल कर या उपचारित कर कौन पीता है। रही बात शहरों की तो वहां नगरपलिकाएं रेत की छननी (फिल्टर) अथवा क्लोरीन से विसंक्रमित करती हैं पर विसंक्रमित की इन युक्तियों की अपनी सीमाएं हैं। पानी के उपचार के लिए आज से दशकों पूर्व बने संयंत्र उतनी दक्षता से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जलस्रोत ही काफी प्रदूषित हो चुके हैं।

पीने के पानी में उपस्थित वायरसों की प्रचुर मात्रा से निम्न रोग फलते हैं:- पोलियो, संक्रामक यकृत शोथ (पीलिया), आन्त्र शोथ और दस्त (डायरिया)।

शहरों का पानी एक तो औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थों का मिलावट होता है। दूसरे शहर का सारा मल जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह कितने खेद की बात है कि आज भी वाहित मल जल (सीवेज वाटर) को साफ करने एवं उसे पुनः खाद बनाने तथा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने हेतु कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। यदि ऐसी व्यवस्था हो सके तो मल निपटान की स्वच्छ व्यवस्था से पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और उसका समुचित उपयोग। आज भी तमाम चारागाहों या साग-सब्जियों को इसी वाहित मल जल से सींचा जाता है जो कई बीमारियों का घर है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं को भी इनसे हानि होती है।

तमाम राष्ट्रों में समुद्री खारे जल को पीने योग्य यानी मीठे जल में तब्दील करने के प्रयोग भी चल रहे हैं पर हमें उपलब्ध जल को स्वच्छ बनाए रखने का भी प्रयास जारी रखना है।

[illegible] का [illegible] (मल [illegible] [illegible]) मिला जल इतना अधिक प्रदूषित [illegible] जाता है कि वह नाना प्रकार की बीमारियों [illegible] घर है।

इसके ठीक विपरीत गांवों में पानी या तो [illegible]ुले कुओं अथवा तालाबों, पोखरों से लिया [illegible]ाता है। आज हम इस वैज्ञानिक युग में [illegible]ी रहते हुए गांवों के लिए पानी के लिए [illegible]ुद्ध जल की व्यवस्था नहीं कर सके हैं, [illegible]ह एक दु:खद स्थिति है। पोखरों का [illegible]स्थर जल (स्टैगनैंट वाटर) पशुओं और [illegible]नुष्यों दोनों के लिए काम में आता है। [illegible]क ही घाट पर पशु और मानव जल [illegible]ो पीते हैं, नहाते हैं, बर्तन साफ करते हैं [illegible]ौर इस प्रकार जन-स्वास्थ्य खतरे में पड़ [illegible]ाता है। गांवों में नाना प्रकार की [illegible]ीमारियों की जड़ यही प्रदूषित जल है।

विश्वव्यापी योजना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी 30 प्रतिशत शहरी जनता तथा 88 प्रतिशत ग्रामीणों को पेय जल (सुरक्षित, स्वच्छ) नहीं मिल पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक यह आंकड़ा है जिसके अनुसार विश्व में 12 करोड़ लोगों को शुद्ध पेय जल नहीं मिल पाता है और लगभग 13 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। इन कारणों से लगभग 80 प्रतिशत लोग बीमार होकर मौत की गोद में सो जाते हैं।

अत: विश्व व्यापी संकट से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर पहल की है और सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इस समस्या से निपटान पाने अर्थात् लोगों को शुद्ध पेय जल आपूर्ति हेतु 1981 से 1990 के वर्षों को अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक मनाने की घोषणा की है। समूचे विश्व के नागरिकों का आह्वान करते हुए संगठन का निश्चय है कि इस नवें दशक के अन्त तक सारी दुनिया को पीने के लिए शुद्ध पानी मुहैया किया जा सके।

भारतीय संदर्भ: एक आंकलन

भारत में गांवों एवं शहरों की जल [illegible]पूर्ति की अपनी अलग-अलग समस्याएं [illegible] भारत के 23,857 गांवों में [illegible] संक्रामक रोगों की आशंका हमेशा [illegible] रहती है तो दूसरी ओर मात्र 43 प्रतिशत शहरों में गंदे जल की निकासी एवं सफाई की उचित व्यवस्था है।

तुलनात्मक दृष्टि से गांव जल आपूर्ति की समस्या अधिक जटिल है। शहरों में तो पानी को उपचारित करने की दिशा में ठोस कार्य करने की जरूरतें हैं तथा मल निपटान एवं औद्योगिक उच्छिष्टों से जल के बचाव की, पर गांवों में तो जल स्रोत भी जुटाने की प्रबल आवश्यकता है।

ग्रामीण जल आपूर्ति

ऊपर एक स्थल पर यह बताया गया है कि अभी तक लगभग 24 गांव पर 1 गांव में स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था है। कुछ गांवों में कुएं खोदने, बोरिंग आदि की व्यवस्[illegible] की जा रही है। सूखा जन्य समस्याओं से इस दिशा में सरकार ने और भी जागरूकता दिखाई।

पांचवीं योजना अवधि तक ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए आबंटन राशि को एक सौगुणा बढ़ाकर 348 करोड़ रुपय कर दिया था। छठी योजना में इस कार्यक्रम को और प्रमुखता दी गई है। आवंटन राशि बढ़ाकर 1458 करोड़ कर देने का सरकार ने विचार किया है। यह कार्य 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत किया जा रहा है। 1974 तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1,53,000 समस्याग्रस्त ग्रामों में कार्य हो चुका है। अभी भी लगभग 103,000 समस्याग्रस्त ग्रामों में सुनिश्चित जल आपूर्ति की व्यवस्था करनी बाकी है जहां आकस्मिक जल संकट हो जाता है।

अनुसंधानशालाओं का योग

देश में कुछ प्रयोगशालाएं इस दिशा में कार्यरत हैं कि कैसे पानी को साफ करने की युक्तियां विकसित की जाएं। पानी को छानकर साफ करने और संक्रमण रहित करने की दिशा में क्षेत्रीय अनुसंधान शाला, जोरहट केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता ने सस्ती कैंडले विकसित की हैं जो पानी छानने हेतु किसी भी सामुदायिक जल-सप्लाई में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

उपर्युक्त तरीके से छाने गए जल को जीवाणु रहित करने के लिए टिकियों अथवा सम्पुटिकाओं (एम्पूल) के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इन टिकियों का विकास नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधानशाला ने किया है।

गांवों में खुले प्रदूषित पानी को संदूषण रहित करने की दिशा में नागपुर की उक्त प्रयोगशाला ने क्लोरीनीकरण पाट (पात्र) का विकास किया है।

इन तकनीकों के विकास से आशा की जाती है कि निकट भविष्य में ग्रामीण एवं शहरी जल के स्वच्छ एवं सुरक्षित करने की दिशा में आशातीत सफलताएं अवश्य ही मिल सकती हैं।

व्यापक संभावनाएं

मीठे जल की कमी आज सारी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय है। पेय जल आपूर्ति की दिशा में हो रहे व्यापक अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि निश्चय ही इस दशक के अन्त तक पानी की समस्या सुलझ जाएगी।

समुद्री जल से मीठा जल

समुद्री जल को मीठा जल में परिवर्तित करने की दिशा में आज दुनिया भर में लगभग 1,500 विलवणीकरण संयंत्र (डिसैलीनेशन प्लांटस) कार्यरत हैं। फलोरिडा के पूर्व तट पर बसे तमाम अमेरिकी शहरों की दैनिक आवश्यकता इस प्रकार से प्राप्त जल से पूरी की जाती है। अमेरिकी विशषज्ञों की मदद से जिद्दा (सउदी अरब) में 3.2 मिलियन डालर जल की क्षमता वाला संयंत्र लगाया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलने का समझौता भी हुआ है। रदरफर्ड (न्यूजर्सी) स्थित फेयर ले डिकिंशन विश्वविद्यालय में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारम्भ किए जाने वाले हैं जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को खारे ल को पीने योग्य मीठा जल प्राप्त करने की तकनीकें बताई जाएंगी और इस प्रौद्योगिकी का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में दो अनुसंधान शालाएं करनाल की मृदालवणता अनुसंधान संस्थान, भावनगर स्थित केंद्रीय नमक एवं समुद्रीरसायन अनुसंधान संस्थान, इस दिशा में कार्यरत हैं।

वाहित मल से पानी

शहरों में सारा मल, गंदा जल नालों से बहाकर नदियों को समर्पित कर दिया जाता है और अपने कर्त्तव्य की इति श्री। पर वह नदियों में प्रदूषण उत्पन्न करने के अलावा पीने के काम में भी प्रकारांतर से आता है। यदि मल निकासी की सुरक्षित योजना हो तो दोनों समस्याएं सुलझ सकती हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी युक्ति विकसित की है जिसमें वाहित मल (सीवेज) को थोड़े समय के लिए गड्ढों में रोक लिया जाता है। सूरज की धूप में उसमें सूक्ष्म जीवाणु आदि उसमें घुले पदार्थों को स्थाई योगिकों में बदल देते हैं। (आक्सीकरण द्वारा) फलस्वरूप ठोस मल नीचे बैठ जाता है और पानी निथार उठता है। तलहटी में जमी मल से अच्छी खाद मिल जाती है और ऊपर का पानी मत्स्यपालन तथा सिंचाई के काम में उपयुक्त होता है। आक्सीकरण तालों में शैवालों का प्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है जिससे कार्बनिक पदार्थों के आक्सीकरण में वृद्धि होती है और इस प्रकार सीवेज की शुद्धता भी बढ़ती जाती है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वाहित मल कृषि से जल प्रदूषण नियंत्रण और अधिक उपज का लाभ मिल सकता है। एक अनुमान के अनुसार यदि देश के सम्पूर्ण वाहित मल का उपयोग किया जाए तो इससे 2 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव है। वर्तमान में भारतवर्ष में कुल 132 सीवेज फार्म है जो कि लगभग 3000 एकड़ जमीन घेरे हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 225 मिलियन गैलन सीवेज उपयोग में लाते हैं। ये सीवेज फार्म उनका उपयोग मुख्यत: फसलों की सिंचाई में करते हैं।

इतना ही नहीं वाहित जल से पीने योग्य पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। लास ऐंजेलस के दक्षिण आरेंज काउंटी नामक बस्ती में एक ऐसी फैक्ट्री कार्यरत है जिसमें प्रतिदिन 57 मिलियन लीटर गंदा जल पीने योग्य स्वच्छ जल में बदला जाता है। इस योग्य बनाने के लिए वाहित जल को तमाम रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र जल दशक मनाने की यह योजना विश्व स्तर का प्रथम प्रयास है जब इस दिशा में गम्भीर रूप से सोचा जा रहा है। इस योजना की सफलता में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त तकनीकों की जरूरतें हैं। आपसी सहयोग की भावना से पेयजल का वर्तमान संकट निकट भविष्य में पूरा हो सकता है।☐

संपादक
'पर्यावरण दर्शन'
34 एलनगंज इलाहाबाद
211002

होनी कुछ और ही थी

थंगप्पन ने आत्महत्या करने की कोशिश की परन्तु वह असफल रहा। पुलिस ने उस पर मुकदमा चलाया। जज ने उसे जेल भेज दिया।

केरल के त्रिचुर जिले में मानाक्कुलंगार गांव का निवासी थंगप्पन पेशे से नाई है। वह गरीब था। गांव में भी आधुनिक सैलून खुल जाने से थंगप्पन से कोई हजामत नहीं बनवाता था।

प्रतिदिन वह गांव का चक्कर लगाता था और खाली हाथ वापस घर लौट आता था। उसकी पत्नी और तीन छोटे-छोटे बच्चे भूख से पीड़ित रहते थे। अत: थंगप्पन ने आत्महत्या करके सब कुछ समाप्त करने की ठानी।

परन्तु होनी कुछ और ही थी। थंगप्पन के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अपने रिरियाते बच्चों को टूटी हुई झोपड़ी में छोड़कर काम के लिए निकल पड़ी। उस अंधकारपूर्ण जीवन में भी खंड विकास अधिकारियों के रूप में प्रकाश की किरण आई। उन्होंने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसको 5000 रुपये दिये जिसमें 2000 रुपये अनुदान और 3000 रुपये झोपड़ी बनाने के लिए ऋण के रूप में थे। अब परिवार के पास रात गुजारने के लिए कम से कम आश्रय स्थल तो हो गया। वह छोटे-मोटे कामों द्वारा अपने परिवार का पेट भरने लगी।

इसके साथ ही थंगप्पन भी अपने घर वापस लौट आया। वह लाचार और निराश था। उसकी पत्नी उसे खंड विकास अधिकारी के पास ले गई। खंड विकास अधिकारी ने उसके मामले की बड़ी समझबूझ से जांच की और थंगप्पन को आधुनिक साज सामग्री से युक्त केशकर्तनालय (ह्रेयरड्रेसिंग सैलून) खोलने के लिए 9000 रुपये का ऋण दिया गया। इस राशि में से 3000 रुपये अनुदान के रूप में थे और शेष रकम ऋण के रूप में थी।

थंगप्पन की नाई की नई दुकान कोडकारा गांव में शीघ्र ही चल पड़ी। कठिन परिश्रम और अच्छे व्यवहार से वह ग्राहकों को आकर्षित करने लगा। उसकी पत्नी अब छोटे मोटे कामों के लिए घर से बाहर नहीं जाती है। वह नियमित रूप से किस्तें चुका रहा है।

हम अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करते हैं—और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, यह देखते हुए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जिसे विदेशों से अनाज आयात करने पर भारी खर्च करना पड़ता था।

हम विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों में से एक हैं—हम रेडियो से लेकर कम्प्यूटर, सुई से लेकर अत्याधिक परिष्कृत यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन करते हैं।

हमारे यहां विश्व के किसी भी देश से (अमरीका और रूस के अतिरिक्त) अधिक प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवं यंत्रविद् हैं। हमारी सहायता से कई विकासशील राष्ट्रों में संयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जा रहे हैं।

हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है

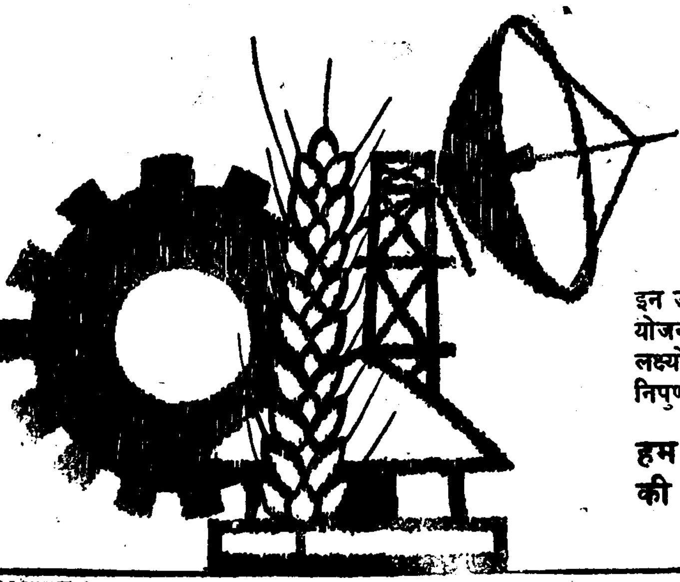

इन उपलब्धियों ने हमें पंच-वर्षीय योजना एवं 20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग्यता एवं निपुणता प्रदान की है।

हम गौरवपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर हैं।

डीएवीपी 83/119

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नवार्ड)

✳

चन्द्र शेखर मिश्र

कृषि एवं ग्रामीण विकास रेतु संस्थानत ऋण सम्बन्धी व्यवस्था की समीक्षा करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने श्री वी० शिवरमन की अध्यक्षता में मार्च 1979 को एक समिति का गठन किया जिसे "क्रेफिकार्ड" के नाम से माना जाता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण साख पर विस्तृत अध्ययन पश्चात् "क्रेफिकार्ड द्वारा दिया गया यह तीसरा प्रतिवेदन है। इसके पूर्व रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित अखिल भारतीय ग्रामींण साख सर्वेक्षण समिति (1954) एवं ग्रामीण साख समीक्षा समिति (1969) ने ग्रामीण साख से सम्बन्धित विषयों पर विस्तृतत प्रतिवेदन दिए थे। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने समन्वित ग्रामीण साख योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें और सिफारिशों के अलावा कृषकों को उनके द्वारा उत्पादन किए जाने वाले फसलों के आधार ऋण दिए जाने की सिफारिश की थी श्री बैंकटपैया समिति ने अपर्याप्त साख उपलब्ध होने, सभी क्षेत्रों में समान रूप से साख का विस्तार न होना, काफी मात्रा में कालातीत ऋण का होना, अकुशल प्रबन्ध एवं समाज के कमजोर वर्गों को ऋण का पर्याप्त हिस्सा प्राप्त न होना बताया था। समिति ने समाज के कमजोर वर्गों खासकार लघु एवं सीमान्त कृषक मजदूरों के हेतु लघु कृषक विकास अभिकरण एवं सीमान्त कृषक एवं कृषक मजदूर विकास अभिकरण बनाने का सुझाव दिया था। वास्तविक में समिति ने प्रथम बार संस्थागत ऐजेन्सियों द्वारा कमजोर वर्गों को साख की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तुत की थी।

श्री वी० शिवरमन की अध्यक्षता में गठित "क्रेफिकार्ड" समिति ने ग्रामीण साख के सभी पहलुओं के अध्ययन पश्चात् मई 1981 के अपने विस्तृत प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन में समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक से हटकर **राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास बैंक (नवार्ड) बनाने का सुझाव दिया**। समिति ने अपने प्रतिवेदन में अन्य सुझावों के साथ ही यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि **यदि ग्रामीण व्यक्ति विभिन्न विकास कार्यों के लिए** ऋण लेने की **पात्रता (योग्यता) नहीं रखते हैं तो विकास के कार्यक्रम ही इस प्रकार से तैयार किए जाएं जो समाज के कमजोर वर्गों को ऋण लेने के योग्य बनाएं, और वे उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सके।** समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का मापदन्ड केवल जमा (Deposit) संग्रह कर, उनके द्वारा क्षेत्र विशेष के समाज के कमजोर वर्गों के हित में किए गए विभिन्न कार्यों (यथा दिए गए ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन आदि) से किया जाने का सुझाव दिया। संस्थागत साख के तीनों अभिकरणों यथा सहकारी साखा समितियों सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियात्मक क्षेत्र में प्रभावक समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। समिति के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग एवं कृषि पुर्नवित एवं विकास निगम को सम्मलित कर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बनाया गया। लोक सभा व राज्य सभा ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक क्रमशः 30 नवम्बर 1981 व 14 दिसम्बर 1981 को पारित किया। दिनांक 12 जुलाई 1982 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नवार्ड) अस्तित्व में आकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

राष्ट्रीय बैंक के उद्देश्य

(1) कृषि के लिए (उत्पादन ऋण) अल्पकालीन मध्यकालीन व दीर्घ कालीन साख की पूर्ति करना।

(2) लघु उद्योग कुटीर उद्योग, तथा ग्रामोद्योग हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य सम्बन्धित आर्थिक कार्यों के लिए ऋण देना।

(3) सभी प्रकार के ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने और नीतियों तथा कार्यक्रमों को अमल में लाने में मदद के लिए एक एकल समन्वित संस्था के रूप में कार्य करना। कृषि ग्रामीण कारीगर उद्योग के लिए विकासशील योजनाएं तैयार करना। परार्मश देना।

साख (ऋण) की व्यवस्था

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं (जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा मान्य किए गए हों) को 18 माह तक की अवधि के लिए अल्पकालीन साख एवं 18 माह से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन साख मौसमी कृषि कार्यों, कृषि वस्तुओं के विपणन, कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग हस्तशिल्प तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित आर्थिक कार्यों के लिए ऋण देगा। कृषकों को कृषि में स्थायी सुधार व विकास

[illegible] एवं विकेन्द्रित क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग व कुटीर उद्योग की स्थापना विकास हेतु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को 25 वर्ष की अवधि तक के लिए दीर्घकालीन ऋण बैंक देगा।

पूंजी (साधन)

बैंक की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ है। प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ है। बैंक की प्रदत्त अंश पूंजी में रिजर्व बैंक व केन्द्रीय सरकार का 50–50 प्रतिशत का हिस्सा है, प्रदत्त अंश पूंजी के अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित —

1. राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन निधि

2. राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण निधि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। बैंक खुले बाजार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, केन्द्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक से ऋण ले सकता है। बैंक का कार्य प्रारम्भ होते समय लगभग 4000 करोड़ की पूंजी थी।

बैंकों का निरीक्षण

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों (नागरिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) के कार्यों का निरीक्षण करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा नए शाखा के स्थापना हेतु सभी आवेदन पत्र अब राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक को प्रेषित किए जाएंगे। साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत जो प्रतिवेदन इन बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रेषित किए जाते हैं, वे राष्ट्रीय बैंक को भी दिए जाएंगे।

अनुसंधान एवं विकास निधि (कोष) की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में एक अनुसंधान एवं विकास निधि की स्थापना की गई है जिसमें प्रतिवर्ष बैंक अपने लाभ का एक हिस्सा जमा करेगा। इस निधि का उपयोग कृषि कार्यों और ग्रामीण विकासों से सम्बन्धित प्रशिक्षण/अनुसंधान एवं प्रायोजना का निर्माण आदि के महत्वपूर्ण विषयों के लिए किया जाएगा।

प्रबन्ध

राष्ट्रीय बैंक का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त 15 संचालाकों से निर्गत एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से 3 (जिसमें 2 सहकारी बैंक) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेशक मण्डल से बाहर के संचालक-3, राज्य सरकारों की अधिकारियों की ओर से-2, ग्रामीण अर्थ-शास्त्र, ग्रामीण विकास विशेषज्ञ की ओर से 2, अध्यक्ष-1 एवं प्रबन्ध निदेशक-1 सम्मलित होते हैं।

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 20 मार्च, 1983 को राष्ट्रीय बैंक के संचालक मण्डल का गठन कर उनके नामों की घोषणा की है, जिसमें सहकारी क्षेत्र से डा० जे० सी० राउत, एवं श्री एम० एन० नामबियार को सम्मलित किया है।

इस प्रकार राष्ट्रीय बैंक सभी प्रकार ऋण देने सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नीति, आयोजन व संचालन सम्बन्धी सभी पहलुओं के बारे में एक शीर्ष (Apex) के संगठन के रूप में काम करेगा। बैंक को कार्य प्रारम्भ किए हुए अभी केवल 8-9 माह हुए हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा।

(1) देश के लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि साख समितियां जो सहकारी साख ढांचे एवं ग्रामीण विकास की आधार शिलाएं हैं, को बैंक द्वारा उनकी व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर उसे सभी दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ग्रामीण सदस्यों को इन समितियों से अधिकाधिक सेवा व सुविधा समय पर उपलब्ध हो सके।

(2) राष्ट्रीय बैंक क्षेत्रीय असंतुलनता दूर करने के उद्देश्य से अविकसित राज्यों (उदाहरण स्वरूप पूर्वी क्षेत्र के राज्यों यथा-बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि) द्वारा तैयार की गई प्रायोजनाओं पर विशेष ध्यान दें व इन राज्यों [illegible] ऋण स्वीकृत करने के [illegible] निर्धारित करें ताकि प्राथमिक दृष्टि से [illegible] इन राज्यों में कार्यरत बैंक/वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीय बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ ले सकें।

(3) राष्ट्रीय बैंक की स्थापना ग्रामीण विकास हेतु की गई है, अतएव बैंक का यह प्रयास होना चाहिए कि कृषकों, कारीगरों व उद्योगों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में ऋण बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं ? इसकी जांच अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजकर निरीक्षण करवाते रहना चाहिए, ताकि वस्तुस्थिति की जानकारी बैंक को मिलती रहे।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प, कुटीर व कृषकों को विभिन्न उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर जहां तक हो कम रखा जाए।

(5) यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय बैंक ने विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण के महत्व को पुनः दुहराते हुए अनुसंधान एवं विकास निधि की स्थापना की है। इस क्षेत्र में आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व से कार्य कर रहे (चल रहे) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आपस में इस प्रकार समन्वय किया जाए ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। आवश्यकतानुसार संस्थाओं की स्थापना शीघ्र की जाए।

(6.) राष्ट्रीय बैंक विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव नीति इस प्रकार निर्धारित करें कि ग्रामीण वातावरण में पले, पढ़े-लिखे नवयुवकों को बैंक में कार्य करने का अधिकाधिक अवसर मिले।

आशा है कि राष्ट्रीय विकास बैंक एवं विभिन्न वित्तपोषण ऐजेन्सी के प्रयास व तत्परता से ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गति प्राप्त होगी व उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। □

कहानी

चुगल खोरी

शम्भू प्रसाद 'राही'

तपवा के चक के पास ही जब रमवा का चक लग गया तो थोड़े दिनों के बाद रमवा से परगा ने कहा—"मितवा ! तेरा चक बहुत कम है, ऐसा लगता है कि तपवा ने मिलजुल कर अपना चक बढ़वा लिया है ।" परगा के दिमाग में यह बात घूम रही थी, तपवा ने उसकी बकरी पिछले साल कैद की थी । कुल पच्चीस रुपये लगे थे । अब की वह पच्चीस सौ तपवा का खर्च कराएगा और रमवा के बाप ने उसके बाप को चोरी करने पर लाठी से मारा था। अब वह अवश्य बदला लेगा । पड़ोसी चकदारों को लड़ाने में तो मजा आएगा ही ।

परगा तो चल दिया परन्तु रमवा की बेचैनी बढ़ गयी । "हां, तपवा तो चकबन्दी लेखपाल से दफ्तर में बात कर रहा था । ओह ! इसीलिए उसने चावल बेचा था ।———लेकिन वह तो बड़ा संतोषी आदमी है, हर बात पर संतोष करता है। उस दिन पंचायत में रमचरना ने उसे गाली दे दी, वह कुछ नहीं बोला । ———लेकिन जमाना बड़ा खराब है । किसी पर भरोसा नहीं——अगर चक ठीक नहीं हुआ तो लड़िके-फड़िके भी मुझे गाली देंगे । लोग क्या कहेंगे ? अरे तपवा की चालबाजी मैं चलने दूंगा । उसका चक अधिक हो, मेरा चक कम रहे । अभी से चावल बेचकर पटवारी भैया के पास जाता हूं, जितना लगेगा, मैं उससे हटने वाला हूं । कुछ दे दूंगा, बाकी बाद में दूंगा । क्या पटवारी भैया मान नहीं जायेंगे ?———लेकिन पटवारी भैया भी तो तपवा से लिए होंगे । अगर आवें तो ?———आएंगे क्यों नहीं ? क्या उनको मैं मेहनताना नहीं दूंगा ?"

दूसरे दिन रमवा पूरी तैयारी के साथ दिन उगने से पूर्व ही चल दिया—"अरे ! चकबन्दी वाले तो नित्य इस पुल तक टहलने आते हैं———गांव के दलाल तो यहीं न मामला तय करते हैं । लेकिन अभी तक तो कोई दलाल आया नहीं । अच्छा मौका है बात करने का । यदि पटवारी भैया मिल जाते तो मेरा काम आज ठीक हो जाता । बड़ा एकान्त है, सभी बातें हो जातीं, तपवा की शान आज मैं मिटा देता ———। लेकिन इस पुल पर बैठना ठीक नहीं है । हे भगवान ! मेरा कल्याण हो जाए । हे सूरज महाराज ! मुझे पर दया करदें——— वो, दूरी पर कोई साइकिल से आ रहा है———पटवारी —भैया—ही—तो लग रहे— हैं । अक्सर धोती कमीज पहनते हैं—हां, हां, वही तो हैं ।" धीरे-धीरे चलता हुआ रमवा रुक गया । साइकिल की आवाज सुनाई देने लगी । रमवा ने आशाभरी आंखों से निहारा अभिवादन किया —

"जयराम भैया ।"

पटवारी भैया भी रमवा को रुका हुआ देखकर साइकिल किनारे करते हुए उतर गए—"क्या है रमवा ? कहां जा रहे हो ?" उत्सुकता पूर्वक पूछा । "भैया ! मैं किसान हूं । किसान की सारी सम्पत्ति उसकी धरती है । धरती किसान की जान है । प्राण हर लेना ठीक, लेकिन किसान की धरती छीनना अच्छा नहीं है——— ।" रमवा की आंखें भीग रही थीं । जुबान लड़खड़ाने ही वाली थी । पटवारी भैया उसके चेहरे को पढ़ते हुए मालिश लगाने की तैयारी करने लगे ।

"रमवा ! बड़ा अच्छा किया तूने, जो किसी दलाल को साथ नहीं लिया। तुम्हारे ऊपर बड़ा खुश हूं मैं । अच्छा ठीक है । आओ तुम—मैं तुम्हारे गांव चल रहा हूं । तुम्हारा चक आज नाप दूंगा——लेकिन एक बात है—मेहनताना दे दो अभी । नापने के बाद जब कम बेश होगा तो कानूनी कार्यवाही करना ।" पटवारी भैया मेहनताना पाकिट में रखते हुए साइकिल रास्ते पर करने लगे । पटवारी भैया दूर होते गये और रमवा तेजी से चलने लगा।

परगा को सब कुछ पता चल गया। पता भी क्यों न चले ? दिन भर तो वह इधर से उधर करता रहता है। शौचालय के बहाने सड़क की तरफ वह निकल गया ——— तपवा से भी सारी बात मैंने कह दी । उस दिन तो इतना गरम हुआ, मानो तत्काल झगड़ा कर देगा—लेकिन

अधिक दूध के लिए बरसीम "हे"

भारतीय चारागह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी दुधारू पशुओं के चारे के रूप में दाने एवं भूसे पर अत्यधिक खर्च को कम करने के उद्देश्य से बरसीम "हे" बनाकर दाने के स्थान पर उनका प्रयोग करने के लिए शोध कार्य कर रहा है। बरसीम "हे" खिलाने से दूध उत्पादन व्यय 38 प्रतिशत कम किया जा सकता है।

बरसीम "हे" बनाने के लिए दूसरी कटाई या दूसरी कटाई के पश्चात् मिलने वाली बरसीम को खलिहान में 15–20 से० मी० मोटी तह के रूप में छिटक दिया जाता है। 6–8 दिन पश्चात् सूखने पर एक वृत्ताकार ढेर में इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार से बने "हे" को पशुओं को खिलाने के लिए कुट्टी मशीन से काटकर गेहूं आदि के भूसे में 1:1 अनुपात का मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। बरसीम "हे" खिलाने से दाने एवं चारे पर होने वाला व्यय कम होने के साथ-साथ पशु भी काफी हृष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। ☐

साइकिल बड़बड़ाती। परगा सामने ...ने लगा—"ओह पटवारी भइया, ...राम।" चापलूसी के लहजे में नमस्कार ...या। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी ...व में आता, परगा जरूर वहां जुट ...ता। घर वाले सदैव बड़बड़ाते रहते —"दिन भर इधर से उधर——मालूम पड़ता ...ई चौपाया ही नहीं हैं। जिसके दरवाजे ... दो चार पूंछ, वह रत्ती भर घास ... लाये——वह क्या करेगा—भोजन ...ने के लिए भी हर वक्त खोजना पड़ता ...।"

पटवारी भैया भी परगा से खूब वाकिफ ... अतः अभिवादन का उत्तर देते हुए ...तर गये— परगा नाटकीय ढंग से कहने ...गा—"भैया! एक बात जरूर आप याद ...खें कि रमवा ने पूरे चकबन्दी में किसी को ...क बीड़ा पान तक नहीं खिलाया है। वह ...रा उकसाया हुआ शिकार है— वो रमवा ...ी तो आ रहा है अच्छा, भइया! चलें आप ...मवा का चक आप जरूर कम बताइएगा। ...तो अब कस्बा जा रहा हूं, नबिया की तबीयत ...राब है।"

परगा बांव काटकर दूसरी तरफ निकल ...या। रमवा, परगा के घर पहुंचा। उसकी ...ौरत ने बड़ा खरा जवाब दिया— "अरे! ... एक क्षण भी घर रहते हैं? आप ही लोगों ... दरवाजे तो गड़े रहते—— हमें क्या पता?" ...मवा ने तपवा का भी पता लगाया। तपवा ...सुराल चला गया था। रमवा सोचने लगा— ...'अच्छा तो है कि केवल मैं जानूं। मैं जान ...ूं, तब पंचायत में दायर करूं। नए सभापति ...ए हैं, जरूर न्याय करेंगे।"

"आखिर पैसा तो मैंने दे दिया है— ...अवश्य नपवा लूं, वायदे का काम ठीक नहीं ...होता।"

चक नापने के बाद पटवारी भैया धरती निहारते हुए रमवा से बोले— "लगभग चार डिसमिल खेत कम है, रमवा।"

"आप ही तो नापे थे, भैया! आज कैसे कम हो गया? आप लोग किसान के तकदीर लिखने वाले हैं फिर यह क्या करते हैं?" रमवा ने बड़ा व्यंग किया।

"अरे! मैं ब्रह्मा थोड़े हूं रमवा। गलती इन्सान से ही होती है, भगवान से नहीं। —उस दिन खड़ी दुपहरिया में तुम्हारा खेत मैं नापे था— कई चक नापने से मेरा माथा उस दिन चकराने लगा था।"

भैया माथे के बाल खुजलाने लगे—

"रमवा! अरे कायदे से काम निकाल लेना। मार झगड़ा मत करना। किसान का धन बड़ा कीमती होता। खून पसीने की कमाई होती। लाइन बदल जाएगी और तुम्हारा रुपया पैसा चालबाजों के हाथ चला जाएगा।" पटवारी पैसा कुछ छिपाना चाहते थे। उनके हृदय में कुछ और था।

"नहीं भैया, मैं नहीं मानूगा? साले की बेइमानी मैं एक दम उजागिर कर दूंगा घूस देकर किसी की जमीन के साथ अपघात करना कहां की इन्सानियत है? आखिर वह तो मुझे गाजर मूली समझा तभी तो ऐसी चाल चला है। और आप भी आज तक छिपाए रखे। मैं आज ही पंचायत जाऊंगा, तपवा को आ लेने तो दीजिए।————चाहे कितने रुपये लग जाएं, तपवा का हाथ पैर तोड़ कर ही दम लूंगा— उससे जीवन भर मैं मुकदमे लड़ूंगा। परगा से भी तो कुछ समझ लूं। भैया! आप को मेरी मदद करनी पड़ेगी। आप आकर थोड़ा सा पंचायत में असलियत कह तो दीजिएगा मैं तपवा की हड्डी पीस कर पी लूंगा।"

तड़क-तड़क कर रमवा जब कहने लगा तो तमाम लोग तपवा की चालाकी को धिक्कारने और रमवा सबके सहानुभूति का पात्र बन गया। पटवारी भैया का माथा ठनकने लगा। और सोचने लगे रमवा और तपवा में यदि मार-पीट हो जाती है तो मेरी सारी इज्जत समाप्त हो जायेगी लेकिन मैं लिखकर थोड़े ही दे रहा हूं कि कानून में फसूगां नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। झूठ-मूठ और खून खराबा से मुझे क्या लाभ है?

पटवारी भैया सकपका कर बोले—

"रमवा! तुम तो भाई बहुत नाराज हो रहे हो, ऐसी बात है तो क्यों न फिर हम नाप लें सम्भव है कोई गलती हो गई हो।"

पुनः दो बार नापने का स्वांग करके पटवारी भैया ने रमवा के कान में कहा "रमवा, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारा चक कम नहीं है।" पटवारी भैया के आंख के सामने परगा का चित्र आ गया। जिसकी चुगलखोरी की वजह से आज के दो भले और सज्जन आदमी बेवजह आपस में लड़ने झगड़ने जा रहे थे। पटवारी भैया ने ऐन मौके पर अक्ल से काम लिया और परगा की दुष्टता से बच गए। ☐

एस० डी० आई०
दयानन्द बाल आश्रम
बस्ती

नर से नारायण तक का प्रिय—केला

श्रीकान्त पाण्डेय,

फलों का नाम आता है, तो केले की ओर सबका ध्यान जाता है। छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर केला सबका प्रिय है। केले का पौधा तो भगवान को भी प्रिय है। कहीं कोई आयोजन हो, स्वागत्-सत्कार हो केला अपने पूरे परिवार समेत हाजिर रहता है। असली परोपकारी है यह। कितने बीमारों को चंगा कर दिया।

हमारे देश में केले की उपज सभी फलों से अधिक है। यदि विभिन्न अन्य पदार्थों में से अकेले गेहूं के साथ पैदावार में केले की तुलना की जाए, तो केला गेहूं की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होता है। केले के प्रत्येक गुच्छे में 16 से 40 तक केले की फलियां लगती हैं और प्रत्येक पेड़ में लगभग 10 से 12 गुच्छे होते हैं। इस प्रकार प्रति पौधा 15 से 20 किलोग्राम फल प्राप्त किया जा सकता है। वैसे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस जाति का केला लगाया गया है और फसल सुरक्षा व फसल प्रबन्ध पर कितना ध्यान दिया गया है। केले की खेती में भिण्डी, उर्द, प्याज, पातगोभी आदि लगाकर अतिरिक्त आय भी की जा सकती है।

केले की लोकप्रियता का कारण प्रायः सभी मौसम में सर्वसुलभता और इसकी सस्ती कीमत, ज्यादा समय तक ठहर सकने की इसकी विशेषता है। केले को संस्कृत में कदली के अलावा अन्य डेढ़ दर्जन नामों से जाना जाता है। मराठी में केल तथा सोनकेल, बंगला में कला तथा केरा, गुजराती में केलु, अंग्रेजी में प्लान्टेन तथा बनाना, लेटिन में मूसा-सोपियंटम एवं हिन्दी में केला कहते हैं।

केला की खाद्य शक्ति आलू से थोड़ा अधिक है। इसमें प्रोटीन तथा चिकनाई अत्यल्प होती है। और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी-1, विटामिन-सी, कैल्शियम तथा फासफोरस, लौह भी पाया जाता है। केला में जल, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, श्वेतसार, खनिज लवण आदि पोषक तत्व भी होते हैं।

पके केले में पूर्णतया डेक्सट्रीन और शर्करा 50 प्रतिशत होती है। इसीलिए पका केला सबसे अधिक आसानी से पचने वाला खाद्य पदार्थ है। केला रक्त की क्षारीयता को बढ़ाकर अम्लता जनित रोगों को दूर करता है, क्योंकि इसमें अम्लता विरोधी तत्व (पोटैशियम, सोडियम, मैगनीशियम आदि) होते हैं। अस्तु खाद्य फलों में केला श्रेष्ठ फल माना जाता है। केले की शर्करा आंतों में पनपने वाले अनेक हानिकारक जीवाणुओं की प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। तभी तो केला जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की गई आंतों की व्याधिओं में प्राकृतिक औषधि के रूप में काम में लाया जाता है। आंतों की सड़न को भी केला रोकता है।

केले के फल का रस, खूब पके केले के गूदे, केले के तने का रस, कच्चा केला, केले के वृक्ष की कोमल बांझ-कलियां (जो नीचे गिर जाती हैं), केले के फूल के अन्दर निकली नन्हीं-नन्ही केले की फलियां, केले के फूलों का रस, केले की जड़ का रस, धूप में सुखाए कच्चे केले, केले के तने का भीतरी भाग एवं केले की जड़ का चूर्ण, केले के तने के भीतर के सफेद भाग का रस मधु-मेह, पेचिस, श्वास-कास, दमा के दौरे में, मरोड़ युक्त पेचिस, स्वप्न दोष, प्रदर, सूजन, आग से जलने, सांप के काटे, विष खा लेने पर, रक्त-पित्त, बहुमूत्र, वीर्यदोष, पीलिया, सोमरोग, बवासीर, सुजाक, प्रमेह, संग्रहणी, रक्तप्रदर, बांझपन, बच्चों के दांत निकलने के समय के उपद्रव, मूत्र रक्तता पर, पेशाब बन्द होने पर, कृमिरोग में, योमि मार्ग में रक्त जाने पर, बद की गांठ, नक्सीर फूटने पर, संखिया विष खा लेने पर, कान के दर्द, बच्चों की काली खांसी में सफल चिकित्सा हेतु प्रयोग किया जाता है।

केले से बनाए जाने वाले प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन कुछ इस प्रकार हैं :—

शर्बत, मीठी रोटी व पूड़ी, श्रीखण्ड, भुज्जे, मीठा रायता, पकौड़ी, अचार, हलुआ, खीर, सब्जी आदि।

लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए तो केले की खेती वरदान स्वरूप है ही। आइए हम भी अपने घरों के अगल-बगल चार-छः पेड़ लगाएं, भले ही कथा प्रयोजनार्थ ही। विशिष्ट पोषक शक्तिदायी केले के मिलने की सुविधा हमें बारहों मास है, तो क्यों न इसके उपयोग से भरपूर लाभ उठाया जाए। □

गन्ना भवन, उत्तर प्रदेश,
2 माल एवेन्यू, लखनऊ-226001

केन्द्र के समाचार

ुष्ठ आयोग का गठन

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण आयोग का गठन किया ‍या है। आयोग के अन्य सदस्य केन्द्रीय वित्त मंत्री, केन्द्रीय ोजना मंत्री, केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री तथा ‍न्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ! ‍स आयोग में क्रम से पांच राज्यों के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत ुख्य मंत्री, आठ प्रमुख कुष्ठ रोग विशेषज्ञ तथा कुष्ठ नियंत्रण ‍वं देश में सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बंधित अध्यक्ष ‍ारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों को भी ‍ामिल किया जाएगा।

बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य-ंत्री भी दो वर्ष की अवधि के लिए इस आयोग के सदस्य ‍ोंगे । पांचवें मुख्य मंत्री का नाम बाद में घोषित किया जाएगा ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव इस ‍ायोग के पदेन सचिव होंगे ।

केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के ‍ार्गदर्शन एवं इस पर नजर रखने के लिए 19 अप्रैल, 1983 ‍ो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण आयोग का गठन किया था ।

बहूद्देश्यीय ग्रामीण रेडियो प्रणाली

डाकतार विभाग के निर्देश पर भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई० टी० आई०) ने विदेशी सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से नैनी में बहूद्देश्यीय रेडियो संचार प्रणाली के निर्माण की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना पर 82 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे ।

सरकार विदेशी सहयोग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वर्ष 1983–84 में इस परियोजना पर 82 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

पौष्टिक नमक की आवश्यकता

केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गलगण्ठ की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक और बच्चों और महिलाओं में रक्त की कमी को दूर करने के लिए लौह-युक्त नमक के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र से समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाले गलगण्ठ रोग की समस्या की चर्चा करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि हिमालय के उपक्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों के लगभग 1200 लाख व्यक्ति इस रोग से प्रभावित हैं।

श्री तिवारी दिल्ली में जुलाई में हुई नमक उत्पादन की तकनीक में सुधार, किस्म-नियंत्रण एवं प्रशिक्षण के लिए बनाए गए कार्यदल की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे ।

सरकार द्वारा नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि देश नमक के मामले में 1952 में ही आत्मनिर्भर हो गया था। तब से हम अपने लोगों तथा औद्योगिक आवश्यकताओं, दोनों के लिए काफी नमक का उत्पादन करते रहे हैं तथा इसके बाद बचने वाले नमक का निर्यात कर दिया जाता है । हमारा उत्पादन 1949 के 17 लाख टन से बढ़कर 1981 में 89 लाख टन हो गया है।

श्री तिवारी ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि भारतीय मानक संस्था ने 1951 में खाद्य नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 96 प्रतिशत निश्चित की थी, परन्तु हम अभी तक उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि नमक उत्पादन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिएं।

श्री तिवारी ने कहा कि नमक के विश्व व्यापार में हमारा अधिक हिस्सा होना चाहिए परन्तु अपने नमक की घटिया किस्म के कारण हम अपने निर्यात को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में असफल रहे हैं । उन्होंने कहा कि अपने नमक उत्पादन को विश्व स्तर तक लाने के लिए तथा विश्व बाजार में अपने नमक की खपत बढ़ाने के लिए हमें तुरन्त कदम उठाने चाहिएं।

ग्रामीण मजदूर संगठनकर्ता

केन्द्रीय मजदूर संगठन बोर्ड ने सबसे अधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण मजदूरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 125 प्रशिक्षित ग्रामीण शिक्षकों की नियुक्ति की है। परिषद् का इस वर्ष इतनी ही और नियुक्ति करने का विचार है।

ग्रामीण शिक्षक भूमि सुधारों, कृषि मजदूरों के लिए

न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूर और अन्य सामाजिक बुराइयों पर पांच दिनों का एक शिविर और दो-दो दिनों के दो शिविर लगाएंगे। इन्हें प्रतिमाह 200 रु० का मानदेय और 60 रुपये की नियत सवारी भत्ता दिया जाएगा। बोर्ड ने 380 ग्रामीण मजदूर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।

एक अन्य केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत लगभग 161 ग्रामीण मजदूर संगठनकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। ये ग्रामीण मजदूरों को उनके कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी देंगे और उन्हें विभिन्न संगठनों में खद को संगठित करने में मदद पहुंचाएंगे।

मध्य प्रदेश के गांवों में पवन चक्कियां

राज्य में गैर-पारम्परिक स्रोतों के ऊर्जा के उत्पादन के प्रयासों के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में राज्य के छ: जिलों में तीस पवनचक्कियां स्थापित की गईं। केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्थापित इन पवन चक्कियों पर लगभग दस हजार रुपये लागत आती है। ये पवन चक्कियां करीब 15 से 25 फुट ऊंचाई तक पानी उठा सकती हैं।

ये पवन चक्कियां ऐसे कुओं पर लगाई जाती हैं जिसमें गर्मी के मौसम में भी पानी रहता है। स्थापना के बाद एक वर्ष तक केन्द्रीय सरकार इनका व्यय वहन करती है। एक वर्ष के बाद इन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाता है। इन पवन चक्कियों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से बिजली की बचत होती है तथा इसका उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा टंकी बनवाकर पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाता है।

पवन चक्कियों की स्थापना के लिए विभिन्न स्तर के किसानों को 20 से 50 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जाता है।

बायोगैस विकास कार्यक्रमों में स्वयंसेवी एजेन्सियों द्वारा सहायता

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु देश भर में अभिरुचि पैदा करने के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पूरा-पूरा सहयोग करें। वर्ष 1982–83 में स्थापित 57,000 बायोगैस संयंत्रों की तुलना में वर्ष 1983–84 के लिए 75,000 बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य रखा गया है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतविभाग ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में विद्यमान बायोगैस संयंत्रों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि गैर क्रियाशील संयंत्रों को क्रियाशील बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकें। राज्य सरकारों के यह सर्वेक्षण अगस्त तक पूरा कर लेने के लिए कहा गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डा० एस० वर्धराजन ने स्वयंसेवी एजेन्सियों के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाने में सरकार से सहयोग करने का अनुरोध किया, जहां पर स्थानीय लोगों के लाभ के लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके।

ग्रामीण जल सप्लाई हेतु 62.57 करोड़ रु० की सहायता

निर्माण और आवास मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 राज्यों और चार केन्द्र शासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 62.57 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की है। यह उन्हें वर्ष 1983–84 के लिए दी जाने वाली अनुदान सहायता की प्रथम किश्त है।

जिन राज्यों को यह राशि दी जानी है उनके नाम इस प्रकार हैं:—आन्ध्र प्रदेश, (280 लाख रु०) असम (384 लाख रु०), गुजरात (56 लाख रु०), जम्मू और कश्मीर (723 लाख रु०), कर्नाटक (357 लाख रु०), मध्य प्रदेश (622 लाख रु०), महाराष्ट्र (360 लाख रु०), मणिपुर (53 लाख रु०), मेघालय (301 लाख रु०), नागालैण्ड (117 लाख रु०), उड़ीसा (403 लाख रु०), पंजाब (26 लाख रु०), सिक्किम (113 लाख रु०), तमिलनाडु (344 लाख रु०), त्रिपुरा (18 लाख रु०) और उत्तर प्रदेश (2,045 लाख रु०)।

जिन केन्द्र शासित प्रदेशों को यह राशि दी जानी है उनके नाम इस प्रकार हैं—अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (12 लाख रु०), गोवा दमन और दीव (25 लाख रु०) मिजोरम (6 लाख रु०) और पांडिचेरी (12 लाख रु०)।

मंत्रालय ने वर्ष 1983–84 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाने के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं।

10 करोड़ निरक्षरों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1990 तक 10 करोड़ निरक्षरों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए राज्यों सरकारों से संचालन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की योजना, निगरानी और सांख्यिकी इकाई ने पहले ही 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 1990 तक सभी निरक्षरों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए राज्यवार और वर्ष वार लक्ष्य तैयार कर लिए हैं। छठी योजना के तीसरे वर्ष के अन्त तक 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग एक करोड़ एक लाख निरक्षर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जा चुके हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि जिन जिलों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से कम है, उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को इसमें प्रमुखता दी जाएगी। शिक्षणोपरान्त कार्यक्रमों को और अधिक सुगठित किया जाएगा। इनसेट कार्यक्रम के संदर्भ में इलेक्ट्रानिकी प्रसार माध्यमों की क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। □

सिंहपुरा : हरियाणा का ऊर्जा गांव

हरियाणा के बहुत से गांवों में अब ईंधन की लकड़ी और उपले नहीं जलाए जाते हैं। वहां रसोई धुआंरहित और साफ-सुथरी होती है और बर्तन चमकते और जगमगाते हैं। अब खाना भी बड़ी तेजी से बनता है और खाना पकाने में आनन्द आता है। अब वहां लैम्प गैस से जलते हैं और तेज प्रकाश देते हैं।

कुरुक्षेत्र के निकट गांव सिंहपुरा में एक प्रगतिशील युवा किसान गुरनाम सिंह ने अपने क्षेत्र में सबसे पहले गुम्बद की तरह का जनता गोबर गैस संयंत्र लगाया। गुरनाम सिंह के अनुसार इस संयंत्र से खाना पकाने के लिए गैस और प्रकाश देने के अतिरिक्त अच्छी किस्म की खाद भी उपलब्ध होती है। उसकी सफलता को देखकर कई और ग्रामीणों ने भी अपने संयंत्र स्थापित किए। कुछ ने अपने संयंत्रों को अपने शौचालयों के साथ जोड़ दिया है। आज सिंहपुरा पूरे हरियाणा में "ऊर्जा गांव" के नाम से प्रसिद्ध है।

हरियाणा में 1982–83 में 2259 गोबर गैस संयंत्र चालू किए गए और 294 गोबर गैस संयंत्र निर्माणाधीन हैं। केवल कुरुक्षेत्र जिले में ही ऐसे 343 संयंत्र हैं।

जिन ग्रामीणों के पास आवश्यक संख्या में पशु अथवा गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है वहां पर सरकार सामुदायिक गैस संयंत्र स्थापित कर रही है। ऐसे प्रत्येक संयंत्र से 50 परिवारों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। शुरू-शुरू में राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसा एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे संयंत्र गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने और छोटे इंजन चलाने में भी सक्षम होंगे।

हरियाणा में अपने गोबर गैस संयंत्र का मालिक बनना बड़ा आसान है। राज्य का कृषि विभाग संयंत्र का निर्माण करने के लिए सभी तकनीकी और उसको लगाने की सेवाएं उपलब्ध कराता है। संयंत्र निर्माता को 1940 रुपये की सहायता दी जाती है और यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यदि आवश्यक हो तो ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। सीमेन्ट की सप्लाई के लिए विशेष प्रावधान है। एक संयंत्र के निर्माण पर लगभग 6000 रुपये की लागत आती है।

20-सूत्री कार्यक्रम के एक अंग के रूप में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रदर्शन के लिए सिंहपुरा एक आदर्श गांव के रूप में चुना गया है। गोबर गैस संयंत्र के अतिरिक्त हवा से ऊर्जा पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। राज्य में तीन पवनचक्कियां लगाई गई हैं जिनमें से एक सिंहपुरा में है। इन पवनचक्कियों का डिजाइन इलाहाबाद स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया है। पवनचक्की से एक पम्प चलता है जिससे इस गांव के 30 से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों को पानी मिलता है। प्रत्येक पवनचक्की पर 20,000 रुपये खर्च आता है जिसे केन्द्र सरकार वहन करती है।

इस क्षेत्र में सौर कुकरों की लोकप्रियता भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। □

RN 70[illegible]7
P & T Regd. No. D (DN)-[illegible]8
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

वर्ष 1983–84 में देश के जनजातीय क्षेत्रों में 580 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश परिमण्डल में 135 डाकघर खोले जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों वाले उन गांवों में खोले जाएंगे जिनके आस-पास 3 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में कोई डाकघर नहीं है। देश में 37,573 चलते-फिरते ग्रामीण डाकघर

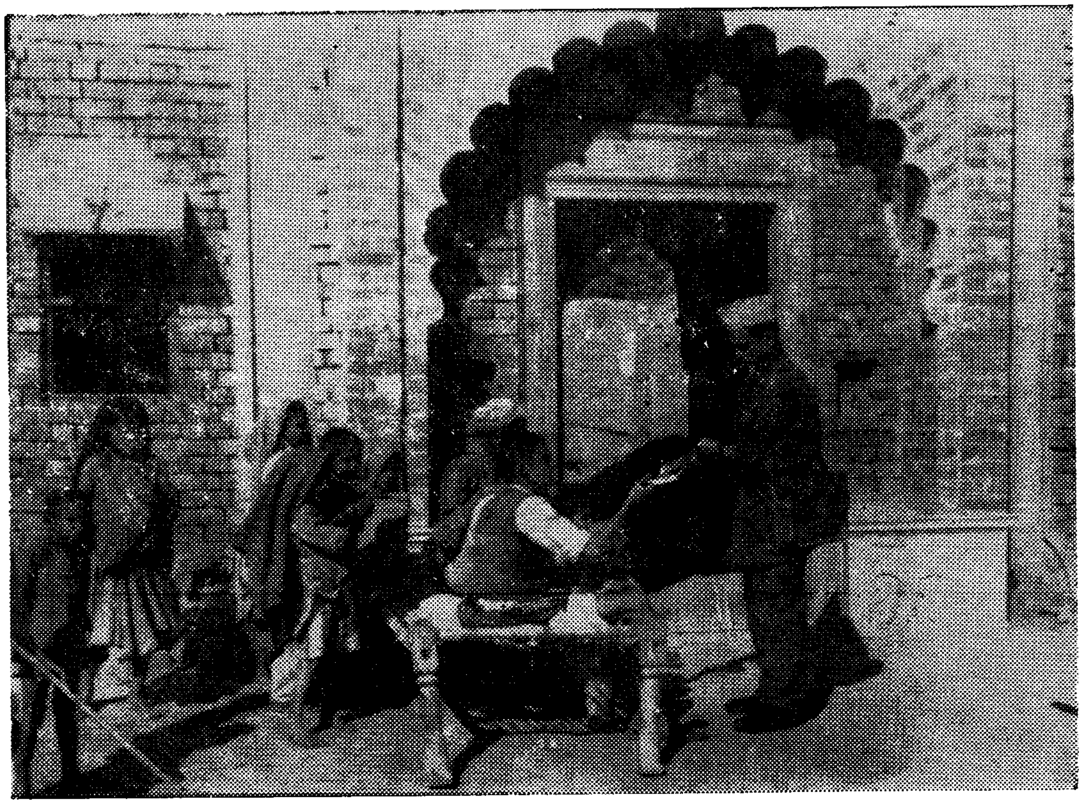

बिहार, पूर्वोत्तर और उड़ीसा परिमण्डलों में 70–70 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। ये डाकघर जनजातीय क्षेत्रों के ग्राम हैं जो 69,743 गांवों को डाक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।